"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. म. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 अप्रैल 2009—वैशाख 4, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2009

क्रमांक ई-7/03/2005/1/2.— इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 02-01-2009 द्वारा श्रीमती संगीता पी., भा. प्र. से., तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर को दिनांक 03-01-2009 से 17-02-2009 तक (45 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी अनुक्रम में श्रीमती संगीता पी., भा. प्र. से. को दिनांक 18-02-2009 से 28-02-2009 तक (11 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 01-03-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2009

क्रमांक ई-7/14/2007/1/2.— श्री रजत कुमार, भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दन्तेवाड़ा को दिनांक 20-05-2009 से 19-06-2009 तक (30 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 20 एवं 21 जून, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री रजत कुमार आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दन्तेवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री रजत कुमार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजत कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री रजत कुमार के उक्त अवकाश अवधि में श्री अंकित आनन्द, सहायक कलेक्टर, दन्तेवाड़ा अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दन्तेवाड़ा का कार्य भी संपादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2008

क्रमांक/4919/कृ. प्र./2001/14-2.—उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 13 के उपखण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, उक्त उपखण्ड के प्रयोजन के लिये नीचे दी गई माइक्रो न्युट्रिएन्ट मिश्रण (भूमि एवं पर्णिम छिड़काव हेतु) के लिए अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शाये अनुसार अधिसूचना जारी होने के दिनांक से मानक निर्धारित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

स. क्र. (1)	माइक्रो न्युट्रिएन्ट मिश्रण क्र. (2)	(3)	मानक (अकार्बनिक भूमि एवं पर्णिम छिड़काव हेतु) (4)	प्रतिशत (5)
1.	(भूमि उपयोग हेतु)	(i)	जिंक (जस्ते के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	6.00
		(ii)	बेरान (बोरान के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	1.20
		(iii)	मॉलिबडेनम (मॉलिबडेनम) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	—
		(iv)	मेग्निज (मेग्निज के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	4.00
		(v)	लोहा (लोहा के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	3.00
		(vi)	कॉपर (कॉपर के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	0.80
		(vii)	जल में अघुलनशील पदार्थ प्रतिशत अधिकतम भार द्वारा	1.00
		(viii)	पी. एच. इससे कम नहीं	3.50
		(ix)	जल में घुलनशीलता प्रतिशत	100.00
		(x)	सीशा (सीशा के रूप में) प्रतिशत अधिकतम भार द्वारा	0.003

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	(भूमि उपयोग हेतु)	(i)	जिंक (जस्ते के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	5.00
		(ii)	बेरान (बोरान के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	1.60
		(iii)	मॉलिबडेनम (मॉलिबडेनम) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	—
		(iv)	मेग्निज (मेग्निज के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	3.00
		(v)	लोहा (लोहा के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	5.00
		(vi)	कॉपर (कॉपर के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	1.50
		(vii)	जल में अघुलनशील पदार्थ प्रतिशत अधिकतम भार द्वारा	1.00
		(viii)	पी. एच. इससे कम नहीं	3.50
		(ix)	जल में घुलनशीलता प्रतिशत	100.00
		(x)	सीशा (सीशा के रूप में) प्रतिशत अधिकतम भार द्वारा	0.003
3.	(पर्णिम उपयोग हेतु)	(i)	जिंक (जस्ते के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	5.00
		(ii)	बेरान (बोरान के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	2.00
		(iii)	मॉलिबडेनम (मॉलिबडेनम) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	0.30
		(iv)	मेग्निज (मेग्निज के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	3.00
		(v)	लोहा (लोहा के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	4.00
		(vi)	कॉपर (कॉपर के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	1.00
		(vii)	जल में अघुलनशील पदार्थ प्रतिशत अधिकतम भार द्वारा	1.00
		(viii)	पी. एच. इससे कम नहीं	3.50
		(ix)	जल में घुलनशीलता प्रतिशत	100.00
		(x)	सीशा (सीशा के रूप में) प्रतिशत अधिकतम भार द्वारा	0.003

टीप :— उर्वरक मिश्रण तैयार करने के लिए राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना/दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये.

निबंधन एवं शर्तें

(1) प्रत्येक माइक्रो न्युट्रिएन्ट उर्वरक मिश्रण के लिए न्यूनतम अभिशोधन संधारणीय होगा.

(2) केलेटेड/पार्टली केलेटेड माइक्रो न्युट्रिएन्ट उर्वरक मिश्रण शर्तों के अध्यधीन रहते हुए विनिर्दिष्ट न्यूनतम अभिशोधन भी व्यवस्थित होगा.

(3) विनिर्दिष्ट से सूत्रण उच्चतर अभिशोधन कराया जा सकेगा.

(4) यदि अतिरिक्त पोषक तत्व (एन. पी. के. कैल्शियम/मेग्निशियम तथा सल्फर) माइक्रो न्युट्रिएन्ट मिश्रण की सक्षमता में वृद्धि लाते हैं तो ऐसे अतिरिक्त पोषण तत्वों का मिश्रण किया जा सकता है. परन्तु ऐसे अतिरिक्त योग पौधों के लिए हानिकारक या विषैला नहीं होना चाहिए.

(5) विषैले पदार्थ जैसे सीशा (Pb), केडमियम (Cd), कोमियम (Cr), पारा (मरक्यूरी Hg), मिश्रण में 0.003 प्रतिशत (भार द्वारा) से अधिक नहीं होना चाहिए.

(6) माइक्रो न्युट्रिएन्ट उर्वरक मिश्रण में अघुलनशील तत्व पर्णिम स्प्रे (फुहार) हेतु 3 प्रतिशत भार से अधिक नहीं होना चाहिए.

(7) पी. एच. शेल 3.5 से कम नहीं होना चाहिए.

(8) भूमि उपयोग हेतु भौतिक स्थिति पूर्ण रूप में हों.

(9) मिश्रण में प्रत्येक पोषक तत्व की वास्तविक मात्रा का पोषण पंजीयन के समय किया जाना अनिवार्य होगा.

(10) विभिन्न माइक्रो न्युट्रिएन्ट उर्वरक मिश्रण के पंजीयन के लिए प्रस्तावों के साथ निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जावेगी और उसे कन्टेनर पर मुद्रित की जाएगी.

(i) पर्णिम स्प्रे मिश्रण के संबंध में प्रत्येक संस्तुत की गई फसल के लिए स्प्रे का अभिशोधन उपज पर अपेक्षित स्प्रे की संख्या तथा फसल का प्रक्रम जिस पर इसका स्प्रे किया जाना है.

(ii) भूमि उपयोग मिश्रण के संबंध में संस्तुत की गई भूमि के प्रकार, मात्रा तथा प्रयुक्ति का समय उल्लिखित किया जाएगा.

S. No. 4919/Ag. cell/2001/14-2.— In exercise of the powers conferred by sub-clause (2) of clause 13 of the Fertilizer (Control) Order, 1985, for purpose of the said sub-clause, State Government hereby, with effect from the date of Notification; sets standards for micro nutrient mixtures (for soil and foliar application), as mantioned in column (2) the schedule, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Micro Nutrient Mixture No.	Specification (for inorganic and soil foliar application)		Percentage
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	(Soil application)	(i)	Zinc (as Zn) percent by weight minimum	6.00
		(ii)	Boron (as B) percent by weight minimum	1.20
		(iii)	Molybdnum (as Mo) percent by weight minimum	—
		(iv)	Manganese (as Mn) percent by weight minimum	4.00
		(v)	Iron (as Fe) percent by weight minimum	3.00
		(vi)	Copper (as Cu) percent by weight minimum	0.80
		(vii)	Matter insoluble in water percent by weight maximum	1.00
		(viii)	pH no less then	3.50
		(ix)	Solubility in water percent	100.00
		(x)	Lead (as Pb) percent by weight maximum	0.003
2.	(Soil application)	(i)	Zinc (as Zn) percent by weight minimum	5.00
		(ii)	Boron (as B) percent by weight minimum	1.60
		(iii)	Molybdnum (as Mo) percent by weight minimum	—
		(iv)	Manganese (as Mn) percent by weight minimum	3.00
		(v)	Iron (as Fe) percent by weight minimum	5.00
		(vi)	Copper (as Cu) percent by weight minimum	1.50
		(vii)	Matter insoluble in water percent by weight maximum	1.00
		(viii)	pH no less then	3.50
		(ix)	Solubility in water percent	100.00
		(x)	Lead (as Pb) percent by weight maximum	0.003
3.	(Foliar application)	(i)	Zinc (as Zn) percent by weight minimum	5.00
		(ii)	Boron (as B) percent by weight minimum	2.00
		(iii)	Molybdnum (as Mo) percent by weight minimum	0.30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(iv)	Manganese (as Mn) percent by weight minimum	3.00
		(v)	Iron (as Fe) percent by weight minimum	4.00
		(vi)	Copper (as Cu) percent by weight minimum	1.00
		(vii)	Matter insoluble in water percent by weight maximum	1.00
		(viii)	pH no less then	3.50
		(ix)	Solubility in water percent	100.00
		(x)	Lead (as Pb) percent by weight maximum	0.003

Note :— Notification/Guidelines for preparation of micro Nutrient, issued by Government of India, to be followed sternly.

Terms and Conditions

(1) The minimum concentration notified for each micronutrient fertilizer mixture shall be maintained.

(2) Chelated/partially cheletad micronutrient fertilizer mixture can also be formulated subject to the condition that the minimum concentration specified shall be maintained.

(3) A formulation can have higher concentration that the minimum specified.

(4) Additional of other nutrients (N. P. K. Ca/Mg and S) and other additives which may promote the efficacy of compounds are also allowed, however, such additions shell not create phytotoxicity.

(5) The concentration of the toxic elements like lead (s Pb) and Cadmium (as Cd), chromium (Cr) and Mercury (Hg) in the mixtures shall not be more than 0.003% each by weight.

(6) The insoluble matter in the micro-nutrient fertilizer mixtures meant for foliar spray shall not be more than 3% by weight.

(7) The pH shell not be less than 3.5.

(8) The physical condition has to be in powder from for soil application.

(9) Actual concentration of each nutrient in the formulation shall be declared at the time of registration.

(10) Along with proposals for registration of different micronutrient fertilizer mixtures, the following information shall be furnished and the same shall be printed on the container.

(i) In respect of foliar spray mixtures, the concentration of the spray, number of sprays required and stage of the crop at which it should be sprayed for each crop recommended.

(ii) In respect of soil application mixtures, soil type for which it is recommended, Quantity and time of application should be mentioned.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2009

क्रमांक एफ-3-51/तीन-जेल/08.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा जेल विभाग की स्थापना से संबंधित अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय वर्गीय तथा लिपिक वर्गीय) सेवा में भरती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ -

ये नियम छत्तीसगढ़ अराजपत्रित (तृतीय श्रेणी - अलिपिकीय वर्गीय तथा लिपिक वर्गीय) जेल सेवा भरती नियम 2009, कहलायेंगे ।

ये नियम ''छत्तीसगढ़ राजपत्र'' में अधिसूचित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं -इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों -

(क) सेवा के संबंध में **''नियुक्ति प्राधिकारी''** से तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है, जिसे शासन द्वारा उक्त सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्ति सौंपी गई हो या इसके बाद सौंपी जाये ।

(ख) **''चयन समिति''** से तात्पर्य ऐसी समिति से है जिसमें प्रहरी (वार्डर) संवर्ग के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय तथा लिपिक वर्गीय पदों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए जेल उप महानिरीक्षक, अधीक्षक केन्द्रीय जेल तथा अधीक्षक जिला जेल समाविष्ट होंगे ।

प्रहरी संवर्ग के कर्मचारियों के लिये चयन, समिति में जेल उप महानिरीक्षक -अध्यक्ष, अधीक्षक सर्किल जेल-सदस्य एवं अधीक्षक जिला जेल -सदस्य के रूप में समाविष्ट होंगे ।

(ग) **"परीक्षा"** से तात्पर्य है नियम 11 के अन्तर्गत भर्ती के लिए ली गई प्रतियोगिता परीक्षा से है ।

(घ) **"शासन"** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ शासन से है ।

(ड) **"राज्यपाल"** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से है ।

(च) **"अनुसूची"** से तात्पर्य इन नियमों में संलग्न अनुसूची से है ।

(छ) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संगंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

(ज) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संगंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

(झ) **"अन्य पिछड़ा वर्ग"** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5-पच्चीस-4-84 दिनांक 26.12.1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग,

(ञ) **"सेवा"** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय) जेल सेवा से है,

(ट) **"राज्य"** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य से है.

3. **विस्तार तथा प्रयुक्ति :-**

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिए गए उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना. ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन** - सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय अनुसूची -एक में उल्लिखित पद मूलतः धारण कर रहें हो, तथा

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भरती किए गए हों, तथा

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भरती किए गए हों.

5. वर्गीकरण, वेतनमान, आदि :-

सेवा का वर्गीकरण, उनसे संबद्ध पदों का वेतनमान तथा सेवा में शामिल पदों की संख्या संलग्न अनुसूची एक में विर्निदिष्ट किए गए अनुसार होगी.

परन्तु शासन, सेवा में शामिल पदों की संख्या में, समय-समय पर स्थायी या अस्थायी रूप से वृद्धि या कमी कर सकेगा.

6. भरती का तरीका :-

(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के बाद सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :-

(क) चयन द्वारा अथवा प्रतियोगी परीक्षा लेकर सीधी भरती द्वारा,

(ख) सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (अनुसूची चार के खाना 2 में दर्शाए अनुसार)

(ग) उन व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवा में ऐसे पद मूलतः धारण कर रहे हों, जैसा कि इस संबंध में उल्लिखित किया जाए.

(2) उपनियम (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन भरती किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय कर्त्तव्य पदों की संख्या (अनुसूची 1 में यथा उल्लिखित) अनुसूची दो में दर्शाए गए प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन भरती को किसी भी विशिष्ट अवधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित किसी विशिष्ट रिक्त या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से निर्धारित की जाएगी.

(4) **उपनियम** -6 (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी, शासन साप्रवि से परामर्श करने के बाद सेवा में भरती सम्बन्धी उन तरीकों को छोड़, जिनका उक्त उपनियम, में उल्लेख किया गया है ऐसे तरीके अपना सकेगा, जो वह इस संबंध में जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करें ।

(5) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए मेरिट के आधार पर चयन के लिए शासन द्वारा मापदण्ड निर्धारित किए जा सकेगें तथापि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस हेतु एक चयन समिति गठित की जाना आवश्यक होगा जो इन मापदण्डों के अन्यथा अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी ।

(6) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अजा, अजजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए) आरक्षण अधिनियम, 1994 के प्रावधान लागू रहेंगें ।

7. सेवा में नियुक्ति –

इन नियमों के प्रारम्भ होने के बाद सेवा में सभी, नियुक्तियाँ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम-6 में उल्लिखित भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के बाद ही की जाएगी अन्यथा नहीं.

8. सीधी भरती की पात्रता संबंधी शर्तें:-

चयन किए जाने के लिए पात्र होने की दृष्टि से उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होंगी, अर्थात् :-

(एक) आयु

(क) उसने चयन/परीक्षा प्रारम्भ होने की तारीख की आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-तीन के कालम-3 में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूर्ण कर ली हो, तथा उक्त अनुसूची के कालम-4 में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूर्ण नहीं की हो,

शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जा सकेगी.

(ख) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का हो, तो उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यार्थियों की उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(घ) उन अभ्यार्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हों या कर्मचारी रह चूके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गयी सीमा तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु-सीमा शिथिलनीय होगी ।

अर्थात : –

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये ।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्य भारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यभारित कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से पूर्व में की गई समस्त स्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की

कालावधि, भले ही वह कालावधि 01 से अधिक बार की गयी हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु-सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :- शब्द "छंटनी किये गये सरकारी सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति से जो इस राज्य की अथवा किन्ही भी संघटक इकाईयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवा-मुक्त किया गया है ।

(ड.) ऐसे अभ्यर्थी, जो "भूतपूर्व सैनिक" हों, अपनी आयु में से पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु-सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :- शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छटनी की गई थी या जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था ।

1. ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो,
2. ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित कर दिया गया हो । और जिन्हें

   (क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

   (ख) भरती संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो,
3. ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिनमें अल्पावधि के नियमित कमशीन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है, जो संविदा पुरी होने पर सेवोन्मुक्त किए गए हों ।
4. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें लगातार अवकाश पर रहने के कारण छः मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो ।

5. ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो ।
6. ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब से दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं ।
7. ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने के, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो.

(च) उन अभ्यार्थियों के सम्बन्ध में, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक है, उच्चतर आयु-सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्ति के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु-सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को, सामान्य अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दिया जावें ।

(झ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(त) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान-कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु-सीमा 8 वर्ष तक शिथिलनीय होगी. किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए ।

टिप्पणी (1) :- ऐसे अभ्यर्थी जो उपर्युक्त खण्ड (घ) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन हेतु पात्र पाये गये हैं नियुक्ति के पात्र नहीं होंगें यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो वे चयन के पहले या उसके पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छटनी की गई होतो वे पात्र बने रहेगें ।

टिप्पणी (2) :- किसी भी अन्य मामले में आयु-सीमायें शिथिल नहीं की जायेंगी । विभागीय अभ्यर्थी को चयन के लिए उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

(थ) आयु-सीमा के संबंध में शासन के सा.प्र.वि. द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू रहेंगें ।

(दो) शैक्षणिक अर्हताएं :-

अभ्यर्थी के पास अनुसूची तीन में दर्शाई गई सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिये,

(तीन) फीस :-

उम्मीदवार को शासन द्वारा विहित फीस भुगतान करना होगा ।

9. निरर्हता :-

उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी के लिये सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया, कोई प्रयास नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके चयन के संबध में अनर्हकारी माना जायेगा ।

10. उम्मीदवारों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा :-

परीक्षा में बैठने के संबंध में किसी भी उम्मीदवार की पात्रता अथवा अन्य बात के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा तथा ऐसे किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी अथवा उससे समक्ष भेंट (इन्टरव्यू) नहीं की जायेगी जिसे उसके द्वारा प्रमाण पत्र न दिया हो ।

11. प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती :-

(1) **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती :-**

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति गठित की जायेगी जिसमें 03 सदस्य होंगे ।

(क) शीघ्रलेखक/स्टेनो टायपिस्ट/डाटा एंट्री ऑपरेटर/सहायक ग्रेड-3 सहित सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए भरती हेतु प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अन्तरालों पर ली जा सकेगी, जैसा की नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर, अवधारित करें ।

प्रहरी वर्ग की सीधी भर्ती के लिए शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार अभ्यार्थियों का शारीरिक प्रवीणता टेस्ट लिया जायेगा तत्पश्चात् चयन समिति द्वारा साक्षात्कार से अभ्यार्थियों का अन्तिम चयन किया जायेगा ।

(ख) चयन समिति द्वारा परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार ली जायेगी, जो शासन समय-समय पर जारी करे ।

(2) **चयन द्वारा सीधी भरती :-**

(क) सेवा में भरती के लिये चयन ऐसे अन्तराल में किया जायेगा जो नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर अवधारित करें ।

(ख) सेवा के लिये उम्मीदवारों का चयन शासन द्वारा गठित चयन समितियों द्वारा साक्षात्कार (Interview) लेकर किया जायेगा ।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 क्रमांक 21 सन् 1994 में अंतर्विष्ट उपबन्धों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सीधी भरती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यार्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जायेंगे ।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यार्थियों की, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा, जिसमें उनके नाम नियम-12 में विनिर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यार्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान कुछ भी क्यों न हो ।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के उन अभ्यार्थियों को, जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया है ।

यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा ।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबन्ध) नियम, 199[illegible] के उपबन्धों के अनुसार प्रहरी वर्ग को छोड़कर अन्य सवंर्ग के पदों के लिए 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे ।

सीधी भर्ती के अन्तर्गत प्रहरी पदों में महिला अभ्यार्थियों हेतु आरक्षण 10 प्रतिशत होगा ।

(7) सामान्य प्रशासन विभाग के अनुदेशों के अनुसार विकलांग अभ्यार्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जायेंगे ।

(8) सीधी भर्ती के अन्तर्गत प्रहरी पदों में नगर सैनिकों (होमगार्ड) के लिए 25 प्रतिशत पद आरक्षित होंगें । जिन अभ्यार्थियों ने होमगार्ड की 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो वे ही इस आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकेंगें ।

(9) ऐसे मामलों में जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाय कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है वहां सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के अभ्यार्थियों के बारे में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा ।

12. चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये उम्मीदवारों की सूची :-

(1) चयन समिति उन उम्मीदवारों के जिन्हें कि वह सर्वाधिक उपयुक्त समझे, अधिमान कम के अनुसार व्यवस्थित नाम तथा अन्य ब्यौरे तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उन उम्मीदवारों के नाम तथा ब्यौरे जो यद्यपि उक्त मानकों के अनुसार अर्ह न हों, किन्तु जिन्हें चयन समिति ने प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुयें सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया हो, योग्यता के कम से बनाई गई एक सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अनुमोदन हेतु भेजेगी ।

(2) प्रहरी पदों पर नियुक्ति हेतु चयन सूची का अनुमोदन महानिदेशक जेल सह जेल महानिरीक्षक द्वारा किया जावेगा ।

(3) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के उपबन्धों के अध्यधीन उपलब्ध रिक्त स्थानों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति के संबंध में, सूची मे दिये गये उनके नामों के कम से विचार किया जायेगा ।

(4) सूची में किसी उम्मीदवार का नाम सम्मिलित किया जाना उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं प्रदान करता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के बाद जिसे वह आवश्यक समझे इस बात से समाधान न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्त के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :-

(1) पात्र उम्मीदवारों की पदोन्नति हेतु चयन करने के लिये एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें अनुसूची चार में उल्लिखित सदस्य होंगे ।

परन्तु इस उपनियम के अधीन समिति के गठन के प्रयोजन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 क्रमांक 21 सन् 1994 की धारा 8 के उपबंधों का पालन किया जाएगा ।

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरावधियों से होगी जो सामान्यतः एक वर्ष से अधिक न हो ।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के उपबन्धों के अनुसार पदोन्नति संबंधी समस्त कार्यवाही उक्त नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार एवं समय-समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार की जावेगी ।

14. पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें :-

1. उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति, उन समस्त मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को उन पदों पर या उसके समतुल्य घोषित अन्य पदों पर, जिनसे पदोन्नति की जानी है उतने वर्षो की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) जैसा कि सरकार द्वारा अनुसूची-चार के कालम (5) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो और जो उप नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों.

स्पष्टीकरण :- "पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीतिः- संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं ।

2. छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के उपबन्ध के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण किया जावेगा ।

15. उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची तैयार करना :-

(1) समिति उपनियम (2) के अध्यधीन रहते हुए ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तो को पूरा करते हों, तथा जिन्हे समिति सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझे । यह सूची चयन सूची तैयार करने की तारीख से 01 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी ।

(2) छ.ग.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के अनुसार चयन सूची की तैयारी के समय सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम अनुसूची चार के कालम दो में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के कम से रखे जायेंगे ।

स्पष्टीकरण :- ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, जो सूची की विधि मान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन लोगों के उपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन् में विचार किया गया है, वरिष्ठता का दावा नहीं रहेगा ।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 का प्रावधान भी लागू रहेंगें ।

16. चयन सूची :-

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्तिम़ रूप से यथा अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची चार के कालम (3) में वर्णित पदों से सेवा के सदस्यों की, अनुसूची के चार के कालम (4) में वर्णित पदों पर पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी ।

(2) जिस कैलेण्डर वर्ष में पदोन्नति के लिए चयन सूची तैयार की जावेगी उसकी विधि मान्यता चयन सूची बनाने के दिनांक से 1 वर्ष तक मान्य रहेगी ।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्त्तव्य के निर्वाह अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में शासन के कहने पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो चयन सूची में ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा ।

17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :-

(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।

(2) जिस व्यक्ति का नाम, सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, उस व्यक्ति की सेवा में संबंधित पदों पर, नियुक्ति के पूर्व समिति परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं जब तक चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने की तारीख तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख से बीच की अवधि में उसके कार्य में कोई गिरावट न आई हो, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में ऐसी हो, वह सेवा में नियुक्ति के उपयुक्त न रहा हो ।

18. परिवीक्षा/परीक्षण :-

सेवा में सीधी भरती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा/परीक्षण पर नियुक्ति किया जायेगा ।

19. निर्वचन:-

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठे तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर शासन का निर्णय अंतिम होगा ।

20. शिथिलीकरण :-

इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह राज्यपाल के किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे ये नियम लागू होते है, ऐसी रीति से जो उसे उचित तथा साम्यापूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है ।

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो, कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

21. व्यावृत्ति :-

इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों/निर्देशों के अनुसार अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायतों के लिए उपबंध किये जाने को प्रभावित नहीं करेगी ।

22. निरसन एवं व्यावृत्ति :-

इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पहले, प्रवृत्त सभी नियम इसके द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद् द्वारा निरसित किये जाते है ।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एस. केन, उप-सचिव.

अनूसूची एक

(नियम 5 देखिये)

भाग - क

छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी सिविल सेवायें (अलिपिक वर्गीय) 2008

स. क.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4	5
1	जेलर	06	तृतीय श्रेणी	5500-175-9000
2	परिवीक्षा अधिकारी	01	तदैव	5000-150-8000
3	उप-अधीक्षक उद्योग	05	तदैव	5000-150-8000
4	कल्याण अधिकारी	04	तदैव	5000-150-8000
5	उप जेलर	34	तैदव	4500-125-7000
6	सहायक जेलर	66	तैदव	4000-100-6000
7	प्रमुख मुख्य प्रहरी (डाईंग केडर)	01	तदैव	4000-100-6000
8	मेल नर्स	02	तदैव	4500-125-7000
9	लैब टेक्निशियन	05	तदैव	4500-125-7000
10	वरिष्ठ बढ़ई प्रशिक्षक	05	तदैव	3500-80-4700-100-5200
11	वरिष्ठ बुनाई प्रशिक्षक	05	तदैव	3500-80-4700-100-5200
12	शिक्षक	31	तदैव	4000-100-6000
13	मेट्रन	05	तदैव	3500-80-4700-100-5200
14	प्रेस फोरमैन	03	तदैव	3500-80-4700-100-5200
15	मुख्य प्रहरी	118	तदैव	3500-80-4700-100-5200
16	रिजर्व गार्ड्स -मुख्य प्रहरी प्रहरी	05 20	तदैव तदैव	3500-80-4700-100-5200 3050-75-3950-80-4590
17	आमोर्रर	01	तदैव	3500-80-4700-100-5200
18	एक्स-रे मशीन ऑपरेटर	01	तदैव	3500-80-4700-100-5200
19	संगणक (कम्प्यूटर ऑपरेटर)	01	तदैव	3500-80-4700 100-5200
20	कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	तदैव	3500-80-4700-100-5200
21	डाटा एंट्री ऑपरेटर	12	तदैव	3500-80-4700-100-5200
22	प्रहरी/महिला प्रहरी	757	तदैव	3050-75-3950-80-4590
23	प्रहरी (अर्दली) जेल महानिरीक्षक /जेल उप महानिरीक्षक हेतु	04	तदैव	3050-75-3950-80-4590
24	परिचारिका (नर्स)	05	तदैव	3050-75-3950-80-4590

01	02	03	04	05
25	बढ़ई प्रशिक्षक	05	तदैव	3050-75-3950-80-4590
26	बुनाई प्रशिक्षक	05	तदैव	3050-75-3950-80-4590
27	व्यायाम प्रशिक्षक	05	तदैव	5000-150-8000
28	सिलाई प्रशिक्षक	05	तदैव	3050-75-3950-80-4590
29	लोहार प्रशिक्षक	01	तदैव	3050-75-3950-80-4590
30	प्रेस कम्पोजिटर	02	तदैव	3050-75-3950-80-4590
31	प्रेस मशीन मेन	03	तदैव	3050-75-3950-80-4590
32	सहायक शिक्षिका	01	तदैव	3050-75-3950-80-4590
33	कम्पाउन्डर (पूर्णकालीन)	34	तदैव	3050-75-3950-80-4590
34	वाहन चालक	38	तदैव	3050-75-3950-80-4590
35	बाईन्डर	01	तदैव	3050-75-3950-80-4590
36	ऑफसेट इन्स्ट्रक्टर	01	तदैव	3050-75-3950-80-4590
37	प्लेट मेकिंग मेन	01	तदैव	3050-75-3950-80-4590

अनुसूची - एक

भाग - ख

छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी सिविल सेवायें (लिपिक वर्गीय)

क.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
01	02	03	04	05
1	कार्यालय अधीक्षक	01	तृतीय श्रेणी	5500-175-9000
2	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षक	02	तदैव	5000-150-8000
3	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	01	तदैव	5000-150-8000
4	सहायक ग्रेड-1	04	तदैव	4500-125-7000
5	लेखापरीक्षक वरिष्ठ वेतनमान	02	तदैव	4500-125-7000
6	शीघ्रलेखक	01	तदैव	4500-125-7000
7	लेखापरीक्षक कनिष्ठ वेतनमान	02	तदैव	4000-100-6000
8	लेखापाल	20	तदैव	4000-100-6000
9	सहायक ग्रेड-2	06	तदैव	4000-100-6000
10	सहायक ग्रेड-3	15	तदैव	3050-75-3950-80-4590
11	स्टेनो टाइपिस्ट	01	तदैव	3050-75-3950-80-4590 विशेष वेतन नियमानुसार

अनुसूची - दो

(नियम 6-क, 6-ख, 6-ग देखिए)

भर्ती का तरीका

भाग क - (तृतीय श्रेणी - अलिपिक वर्गीय)

विभाग का नाम	स. क.	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों का कुल प्रतिशत		
				सीधी भरती द्वारा (देखिये नियम 6-क)	सेवा के वास्तविक सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (देखिये नियम 6-ख)	सेवा के स्थानांतरण द्वारा (देखिये नियम 6-ग)
01	02	03	04	05	06	07
जेल विभाग	1	जेलर	06	--	100 %	--
तदैव	2	परिवीक्षा अधिकारी	01	100 %	--	--
तदैव	3	उप अधीक्षक उद्योग	05		100 %	--
तदैव	4	कल्याण अधिकारी	04	100 %	--	--
तदैव	5	उप जेलर	34	--	100 %	--
तदैव	6	सहायक जेलर	66	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (छ.ग. लो.से.आ. के माध्यम से)	50 प्रतिशत निम्न अनुपात में प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार द्वारा :- **क.** 30% प्रहरी संवर्ग से **ख.** 10% लिपिकवर्गीय संवर्ग से **ग.** 10 % शिक्षक संवर्ग से **टीप**- प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यार्थियों की उक्त पदों में से किसी भी पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा तथा 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत दसवीं (हाईस्कूल) अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए	

01	02	03	04	05	06	07
तदैव	7	प्रमुख मुख्य प्रहरी (डाईंग केडर)	01	--	100 %	--
तदैव	8	मेल नर्स	02	100 %	--	--
तदैव	9	लैब टेक्निशियन	05	100 %	--	--
तदैव	10	वरिष्ठ बढ़ई प्रशिक्षक	05	--	100 %	--
तदैव	11	वरिष्ठ बुनाई प्रशिक्षक	05	--	100 %	--
तदैव	12	शिक्षक	31	95 %	5 % सहायक शिक्षिका पद से पदोन्नति	--
तदैव	13	मैट्रन	05	100 %	--	--
तदैव	14	प्रेस फोरमैन	03	100 %	--	--
तदैव	15	मुख्य प्रहरी	118	--	100 %	--
तदैव	16	रिजर्व गार्ड्स -मुख्य प्रहरी प्रहरी	05 20	-- 100 %	100 % ---	--
तदैव	17	आमोर्रर	01	--	100 %	--
तदैव	18	एक्स-रे मशीन ऑपरेटर	01	100 %	--	--
तदैव	19	संगणक (कम्पयूटर आपरेटर)	01	100 %	--	--
तदैव	20	कम्पयूटर आपरेटर (प्रेस)	01	100 %	--	--
तदैव	21	डाटा एंट्री ऑपरेटर	12	100 %	--	--
तदैव	22	प्रहरी/महिला प्रहरी	757	100 %	--	--
तदैव	23	प्रहरी (अर्दली)	04	100 %	--	--
तदैव	24	परिचारिका (नर्स)	05	100 %	--	--
तदैव	25	बढ़ई प्रशिक्षक	05	100 %	--	--
तदैव	26	सिलाई प्रशिक्षक	05	100 %	--	--
तदैव	27	बुनाई प्रशिक्षक	05	100 %	--	--

01	02	03	04	05	06	07
तदैव	28	व्यायाम प्रशिक्षक	05	100 %	--	--
तदैव	29	लोहार प्रशिक्षक	01	100 %	--	--
तदैव	30	प्रेस कम्पोजिटर	02	100 %	--	--
तदैव	31	प्रेस मशीन मेन	03	100 %	--	--
तदैव	32	सहायक शिक्षिका	01	100 %	--	--
तदैव	33	कम्पाउन्डर (फार्मासिस्ट ग्रेड-2)	34	100 %	--	--
तदैव	34	वाहन चालक	38	100 %	--	--
तदैव	35	बाईन्डर	01	100 %	--	--
तदैव	36	ऑफसेट इन्स्ट्रक्टर	01	100 %	--	--
तदैव	37	प्लेट मेकिंग मेन	01	100 %	--	--

अनुसूची - दो

भाग - ख (तृतीय श्रेणी -लिपिक वर्गीय)

विभाग का नाम	स. क.	सेवा का प्रकार	कर्त्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्त्तव्य पदों का कुल प्रतिशत		
				सीधी भरती द्वारा (नियम 6-क)	सेवा के वास्तविक सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6-ख)	सेवा के स्थानांतरण द्वारा(नियम 6-ग)
01	02	03	04	05	06	07
जेल विभाग	1	कार्यालय अधीक्षक	01	--	100 %	--
तदैव	2	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षक	02	--	--	100 % संचालनालय कोष एवं लेखा विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा
तदैव	3	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	01	100 %	--	--
तदैव	4	सहायक ग्रेड-1	04	--	100 %	--
तदैव	5	लेखापरीक्षक (वरिष्ठ वेतनमान)	02	--	100 %	--

01	02	03	04	05	06	07
तदैव	6	शीघ्रलेखक	01	100 %	--	--
तदैव	7	लेखापाल	20	--	100 %	--
तदैव	8	लेखापरीक्षक (कनिष्ठ वेतनमान)	02	--	100 %	--
तदैव	9	सहायक ग्रेड-2	06	--	100 %	--
तदैव	10	सहायक ग्रेड-3	15	75 %	25% चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा जिन्होंनें भृत्य पद पर 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो तथा 10+2 प्रणाली से हाईस्कूल (दसवीं) परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।	--
तदैव	11	स्टेनो टायपिस्ट	01	100 %	--	--

अनुसूची तीन

भाग - क (तृतीय श्रेणी - अलिपिक वर्गीय)

विभाग	सेवा का नाम	निम्नतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं	
जेल विभाग	परिवीक्षा अधिकारी /कल्याण अधिकारी	18 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, अथवा समाजशास्त्र अथवा अपराधशास्त्र अथवा व्यवहारिक मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि.	
तदैव	उप अधीक्षक उद्योग	18 वर्ष	35 वर्ष, पदोन्नति के लिये कोई आयु सीमा नहीं है.	(1) उम्मीदवार को उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । (2) किसी मान्यता प्राप्त वस्त्रोद्योग संस्था से वस्त्रोद्योग /बढ़ईगिरी/लोहारी में पत्रोपाधि या इन दस्ताकारियों में से किसी भी दस्तकारी का जेल विभाग के अंतर्गत 10 वर्ष का अनुभव ।	यह पद वरिष्ठ बढ़ई प्रशिक्षक/ वरिष्ठ बुनाई प्रशिक्षक/सिलाई प्रशिक्षक के पद से संयुक्त वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा. परन्तु सिलाई प्रशिक्षक से उप उद्योग अधीक्षक पद पर प्रदोन्नति के लिए वही कर्मचारी पात्र होगें जिसने सिलाई प्रशिक्षक के पद पर 20 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो. पदोन्नति हेतु संयुक्त वरिष्ठता संबंधित कर्मचारियों की प्रथम नियुक्ति दिनांक से निर्धारित की जावेगी. शेष शर्तें यथावत रहेगी.

01	02	03	04	05
तदैव	सहायक जेलर	18 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, उम्मीदवार की उंचाई कम से कम 1.65 मीटर, सीने का माप बिना फुलाये 0.80 मीटर, दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य तथा उसे प्रत्येक प्रकार से स्वस्थ होना चाहिये. महिला अभ्यार्थियों के लिए कम से कम उँचाई 1.58 मीटर होना चाहिए सीने का माप अपेक्षित नहीं है.
तदैव	मेलनर्स	18 वर्ष	35 वर्ष	1. 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. 2. पूर्णत: प्रशिक्षित नर्स, पुरूषों, महिलाओं तथा बच्चों की तीन वर्ष तक का सामान्य नर्सिगं प्रशिक्षण, नर्स पंजीयन परिषद (भाग-अ) में पंजीकृत ।
तदैव	लैब टेक्निशियन	18 वर्ष	35 वर्ष	10+2 प्रणाली के अन्तर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा मान्यता प्राप्त संस्था से लैब-टैक्निशियन का डिप्लोमा या प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए.
तदैव	शिक्षक	18 वर्ष	35 वर्ष	10+2 प्रणाली के अन्तर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.
तदैव	मैट्रन	18 वर्ष	35 वर्ष	10+2 प्रणाली के अन्तर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.
तदैव	प्रेस फोरमेन	18 वर्ष	35 वर्ष	10+2 प्रणाली के अन्तर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. अभ्यार्थी को मुद्रण ट्रेड में मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. मुद्रयोजन (कम्पोजिंग), मुद्रण एवं प्रूफ रिंडिंग में 03 वर्ष का अनुभव एवं लेखा संधारण की योग्यता होना चाहिए.
तदैव	एक्स-रे मशीन ऑपरेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	10+2 शिक्षा पद्धति में हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी पद्धति से जीवविज्ञान, रसायन एवं भौतिकी विषय में हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं रेडियोग्राफर/एक्स-रे टेक्निशियन (आपरेटर) का निर्धारित 06 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण.

01	02	03	04	05
तदैव	डाटा एंट्री ऑपरेटर/संगणक (कम्प्यूटर ऑपरेटर)	18 वर्ष	35 वर्ष	1. 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत कक्षा बारहवी बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10 वीं बोर्ड उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए । 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में 01 वर्षीय डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एंट्री का 8,000 की (Key) ''डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति'' होना चाहिये.
तदैव	प्रहरी /अर्दली	18 वर्ष	35 वर्ष	10+2 प्रणाली के अन्तर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पूरानी प्रणाली के अन्तर्गत हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण । उम्मीदवार की उंचाई कम से कम 1.65 मीठर, सीने का माप बिना फुलाये 0.83 मीटर, दोनों आँखों की दृष्टि सामान्य होनी चाहिए । अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 8 वीं उत्तीर्ण होना चाहिए । उंचाई 1.58 मीटर एवं सीने का माप बिना फुलाए 0.78 मीटर होनी चाहिए महिला अभ्यार्थियों के लिए कम से कम उँचाई 1.55 मीटर होना चाहिए सीने का माप अपेक्षित नहीं है.
तदैव	परिचारिका (नर्स)	18 वर्ष	35 वर्ष	10+2 प्रणाली के अन्तर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पूरानी प्रणाली के अन्तर्गत हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, आवेदिका को मान्यता प्राप्त संस्था से नर्सिंग प्रशिक्षण या पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए.
तदैव	बढ़ई प्रशिक्षक	18 वर्ष	35 वर्ष	10+2 प्रणाली के अन्तर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त शासकीय तकनीकी संस्था से बढ़ईगिरी में प्रमाण पत्र होना चाहिए, बढ़ईगिरी के कार्य का 03 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिये ।
तदैव	सिलाई प्रशिक्षक	18 वर्ष	35 वर्ष	10+2 प्रणाली के अन्तर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, शासकीय तकनीकी संस्था या मान्यता प्राप्त संस्था का सिलाई कार्य में पत्रोपाधि (डिप्लोमा) होना चाहिए. सिलाई कार्य का 03 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिये ।
तदैव	बुनाई प्रशिक्षक	18 वर्ष	35 वर्ष	10+2 प्रणाली के अन्तर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, शासकीय तकनीकी संस्था या मान्यता प्राप्त संस्था का बुनाई में पत्रोपाधि (डिप्लोमा) होना चाहिए. बुनाई कार्य का कम से कम 03 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिये ।

01	02	03	04	05
तदैव	व्यायाम प्रशिक्षक	18 वर्ष	35 वर्ष	10+2 प्रणाली के अन्तर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पी.टी.एस. का प्रमाण पत्र/पत्रोपाधि अथवा शारीरिक शिक्षा में पत्रोपाधि तथा कम से कम 03 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिये,
तदैव	लोहार प्रशिक्षक	18 वर्ष	35 वर्ष	10+2 प्रणाली के अन्तर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, लोहार गिरी में आई.टी.आई. परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।
तदैव	प्रेस कम्पोजिटर	18 वर्ष	35 वर्ष	10+2 प्रणाली के अन्तर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।
तदैव	प्रेस मशीन मेन	18 वर्ष	35 वर्ष	10+2 प्रणाली के अन्तर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मुद्रण में आई.टी.आई. परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।
तदैव	सहायक शिक्षिका	18 वर्ष	35 वर्ष	10+2 प्रणाली के अन्तर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.
तदैव	कम्पाउन्डर (फार्मासिस्ट ग्रेड-2) पूर्णकालीन	18 वर्ष	35 वर्ष	10+2 प्रणाली के अन्तर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत हायर सेकेण्डरी विज्ञान संकाय (जीव-विज्ञान सहित) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी की डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण तथा नियमानुसार फार्मेसी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए.
तदैव	वाहन चालक	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था की पत्रोपाधि या प्रमाण पत्र. ड्रायविंग लायसेंस सहित मोटर चलाने का 02 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव ।
तदैव	बाईन्डर	18 वर्ष	35 वर्ष	उम्मीदवार को 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत हाईस्कूल या पूरानी प्रणाली के अन्तर्गत हायर सेकेण्डरी की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।
तदैव	ऑफसेट इन्स्ट्रक्टर	18 वर्ष	35 वर्ष	उम्मीदवार को 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत हाईस्कूल या पूरानी प्रणाली के अन्तर्गत हायर सेकेण्डरी की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा ऑफसेट मुद्रण में मान्यता प्राप्त संस्था से आईटीआई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।
तदैव	प्लेट मेकिंग मेन	18 वर्ष	35 वर्ष	उम्मीदवार को 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत हाईस्कूल या पूरानी प्रणाली के अन्तर्गत हायर सेकेण्डरी की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा मान्यता प्राप्त संस्था/आईटीआई से ऑफसेट प्लेट मेकिंग की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।

अनुसूची - तीन

भाग - ख (तृतीय श्रेणी -लिपिक वर्गीय)

जेल विभाग	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	18 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए जिसमें सांख्यिकीय एक विषय के रूप में सम्मिलित हो.
तदैव	शीघ्रलेखक	18 वर्ष	35 वर्ष	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 10+2 उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण । 2. किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद से हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए क्रमशः 100 शब्द तथा 25 शब्द प्रतिमिनिट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का प्रमाण पत्र धारण करता हो. 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में 01 वर्षीय प्रमाण पत्र/डिप्लोमा तथा डाटा एंट्री का 10,000 की (Key) "डिप्रेशन प्रति घंटा की गति" होना चाहिये.
तदैव	सहायक ग्रेड-3	18 वर्ष	35 वर्ष	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण. 2. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से 25 शब्द प्रतिमिनिट हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण. 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में 01 वर्षीय प्रमाण पत्र/डिप्लोमा तथा डाटा एंट्री का 5,000 की (Key) "डिप्रेशन प्रति घंटा की गति" होना चाहिये.
तदैव	स्टेनो टायपिस्ट	18 वर्ष	35 वर्ष	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण. 2. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से 25 शब्द प्रतिमिनिट हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनिट की गति होना चाहिये. 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में 01 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री का 5,000 की (Key) "डिप्रेशन प्रति घंटा की गति" होना चाहिये.

अनुसूची- चार

(नियम 13 एवं 14 देखिए)

भाग - क (तृतीय श्रेणी अलिपिकीय वर्गीय)

विभाग का नाम	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जायेगी	उन सेवा का पद का नाम, जिस पर पदोन्नति की जायेगी	आवश्यक अनुभव एवं अर्हतायें	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों का नाम
1	2	3	4	5
जेल विभाग	उप जेलर	जेलर	05 वर्ष	**अध्यक्ष** - जेल उप महानिरीक्षक अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य **सदस्य** - अधीक्षक केन्द्रीय जेल अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य **सदस्य** - अधीक्षक, जिला जेल अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य
तदैव	सहायक जेलर	उप जेलर	05 वर्ष	**अध्यक्ष** - जेल उप महानिरीक्षक अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य **सदस्य** - अधीक्षक केन्द्रीय जेल अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य **सदस्य** - अधीक्षक, जिला जेल अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य
तदैव	वरिष्ठ बढ़ई प्रशिक्षक/वरिष्ठ बुनाई प्रशिक्षक	उप उद्योग अधीक्षक	05 वर्ष	**अध्यक्ष** - जेल उप महानिरीक्षक अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य **सदस्य** - अधीक्षक केन्द्रीय जेल अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य **सदस्य** - अधीक्षक, जिला जेल अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य
तदैव	सिलाई प्रशिक्षक	उप उद्योग अधीक्षक	20 वर्ष	**अध्यक्ष** - जेल उप महानिरीक्षक अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य **सदस्य** - अधीक्षक केन्द्रीय जेल अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य **सदस्य** - अधीक्षक, जिला जेल अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य

तदैव	बढ़ई प्रशिक्षक	वरिष्ठ बढ़ई प्रशिक्षक	05वर्ष	**अध्यक्ष** – जेल उप महानिरीक्षक अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य **सदस्य** – अधीक्षक केन्द्रीय जेल अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य **सदस्य** – अधीक्षक, जिला जेल अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य
तदैव	बुनाई प्रशिक्षक	वरिष्ठ बुनाई प्रशिक्षक	05वर्ष	**अध्यक्ष** – जेल उप महानिरीक्षक अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य **सदस्य** – अधीक्षक केन्द्रीय जेल अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य **सदस्य** – अधीक्षक, जिला जेल अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य
तदैव	वाहन चालक (कनिष्ठ श्रेणी)	वाहन चालक (वरिष्ठ श्रेणी)	05वर्ष	**अध्यक्ष** – जेल उप महानिरीक्षक अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य **सदस्य** – अधीक्षक केन्द्रीय जेल अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य **सदस्य** – अधीक्षक, जिला जेल अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य
तदैव	प्रहरी (ऐसे प्रहरी जिन्होंने आर्मोरर का विधिवत प्रशिक्षत प्राप्त किया हो की पदोन्नति आर्मोरर पद पर की जायेगी)	मुख्य प्रहरी / आर्मोरर	05वर्ष	**अध्यक्ष** – संबंधित सर्किल जेल को छोड़ कर किसी अन्य केन्द्रीय जेल का अधीक्षक अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य **सदस्य** – अधीक्षक, जिला जेल अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य **सदस्य** – संबंधित सर्किल जेल का वरिष्ठ जेलर/ जेलर अथवा महानिदेशक/महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य

अनुसूची - चार

भाग - ख (तृतीय श्रेणी - लिपिक वर्गीय)

विभाग का नाम	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जायेगी	उन सेवा का पद का नाम, जिस पर पदोन्नति की जायेगी	आवश्यक अनुभव एवं अर्हतायें	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों का नाम
1	2	3	4	5
जेल विभाग	सहायक ग्रेड-1/ लेखापरीक्षक (वरिष्ठ वेतनमान)	कार्यालय अधीक्षक	05 वर्ष	अध्यक्ष - जेल उप महानिरीक्षक अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य सदस्य - अधीक्षक, केन्द्रीय जेल अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य सदस्य - अधीक्षक, जिला जेल अथवा महानिदेशक/ महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य
तदैव	लेखापरीक्षक (कनिष्ठ वेतनमान) /लेखापाल	सहायक ग्रेड-1/ लेखापरीक्षक (वरिष्ठ वेतनमान)	05 वर्ष	अध्यक्ष - जेल उप महानिरीक्षक अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य सदस्य - अधीक्षक, केन्द्रीय जेल अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य सदस्य - अधीक्षक, जिला जेल अथवा महानिदेशक/ महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य
तदैव	सहायक ग्रेड-2	सहायक ग्रेड-1	05 वर्ष	अध्यक्ष - जेल उप महानिरीक्षक अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य सदस्य - अधीक्षक, केन्द्रीय जेल अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य सदस्य - अधीक्षक, जिला जेल अथवा महानिदेशक/ महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य
तदैव	सहायक ग्रेड-3 (जो लेखा प्रशिक्षित हों)	लेखापाल/ लेखापरीक्षक (कनिष्ठ वेतनमान)	05 वर्ष	अध्यक्ष - जेल उप महानिरीक्षक अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य सदस्य - अधीक्षक, केन्द्रीय जेल अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य सदस्य - अधीक्षक, जिला जेल अथवा महानिदेशक/ महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य

1	2	3	4	5
तदैव	सहायक ग्रेड-3	सहायक ग्रेड-2	05 वर्ष	अध्यक्ष - जेल उप महानिरीक्षक अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य सदस्य - अधीक्षक, केन्द्रीय जेल अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य सदस्य - अधीक्षक, जिला जेल अथवा महानिदेशक/ महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य
तदैव	पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (भृत्य)	सहायक ग्रेड-3	05 वर्ष	अध्यक्ष - जेल उप महानिरीक्षक अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य सदस्य - अधीक्षक, केन्द्रीय जेल अथवा महानिदेशक /महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य सदस्य - अधीक्षक, जिला जेल अथवा महानिदेशक/ महानिरीक्षक द्वारा नामांकित सदस्य

Raipur, the 2nd March 2009

No. F-3-51/Three-Jail/08.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the recruitment to the Chhattisgarh Jail Non-Gazetted Class-III (Ministerial and Non Ministerial) Service, namely :—

RULES

1. Short Title and Commencement:- (1) These rules may be called Chhattisgarh Non-Gazetted Class-III (Ministerial and Non Ministerial) Jail Service Rule, 2009;

(2) It shall come into force with effect from the date of it's publication in the Official Gazette.

1. **Definition;**- In these rules, unless the context otherwise requires ; -

(a) **"Appointing Authority"** in respect to the service, means such authority to whom the power of appointment at the above service or posts, is conferred by the Government.

(b) **"Selection Committee"** means a committee consisting of Deputy Inspector General of prisons, Superintendent Central Jail and Superintendent, District Jail for selection of candidates for the post of Class-III (Non-Ministerial and Ministerial Posts) except (Warder) cadre.

For the selection of Warder cadre, the selection committee shall consists of the Deputy Inspector General of prisons, Superintendent Central Jail and Superintendent District Jail ;

(c) **"Examination"** means a competitive examination for recruitment conducted under rule 11;

(d) **"Government"** means the Government of Chhattisgarh;

(e) **"Governor"** means the Governor of Chhattisgarh;

(f) **"Schedule"** means the schedule appended to these rules;

(g) **"Scheduled Castes"** means the scheduled caste, as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(h) **"Scheduled Tribe"** means the scheduled Tribe, as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(i) **"Other Backward Class"** means other backward classes of citizens as specified by the State Government, vide Notification No. F 8-5-XXV-4-84, dated 26th December 1984 as amended from time to time;

(j) **"Service"** means Chhattisgarh Non-Gazetted Class-III (Ministerial and Non Ministerial) Jail Service;

(k) **"State"** means State of Chhattisgarh;

3. **Scope and application**- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Service (General conditions of service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the Service-** The Service shall consist of the following persons, namely:-
   (1) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively on the posts specified in schedule-I.
   (2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and
   (3) Persons recruited to the services in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Pay scales etc:-** The classification of the service, number of posts included in the service, and the scales of pay attached there to, shall be as specified in Schedule-I.

   Provided that the Government may, from time to time add to or reduce the number of posts, included in the service either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment-** (1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by following methods, namely:-
   (a) by direct recruitment by selection or competitive examination;
   (b) by promotion of substantive members of the service as shown in column No. 2 of Schedule IV;
   (c) by transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts in such services as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited as under clause (b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule -I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Inspector General of Prisons the exigencies of the service so require, the Appointing Authority, may, after consulting the Government, General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) For selection in direct recruitment posts by merit basis, Government shall be made a criteria, Provided that Appointing Authority shall have to constitute a selection Committee. These said criteria or appropriate procedure may be adopted by the Committee with the permission of the Government.

(6) The provisions of Chhattisgarh Public Service (Schedule Castes, Schedule tribes and other backward classes) Reservation Act, 1994 shall be applicable.

7. **Appointment to the Service** - All the appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointments shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruits** - In order to be eligible to be selected, a candidate must satisfied the following conditions, namely:-

(One) Age - (a) He must have attained the age as specified in column (3) and not attained the age as specified in column (4) of schedule III on the first day of January, next following the date of commencement of the examination/ selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of five years, if a candidate belonging to a Scheduled Caste or a Schedule Tribe or Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 10 (Ten) years to the women candidate in accordance with the provision of rule 4 of the Chhattisgarh Civil Service (Special provision for the appointment of Women) Rules, 1997.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in the respect of candidates, who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate who is a permanent Government servant should not be more than 38 years of age.

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be applicable to the contingency paid employees, work-charged employees and employees working in the project implementation committees.

(iii) A candidate who is "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all permanent/temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7(seven) years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 (three) years.

Explanation: The term **"Retrenched Government Servant"** denotes a person who was in temporary Government service of this state or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment for not more than three years of prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation: The term **"Ex-serviceman"** denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or date of application made otherwise for employment in Government service;

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short term engagement;

(b) Fulfilling the conditions of enrolment.

(iii) Officers (military and civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers) ;

(iv) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(v) Ex-servicemen invalided out of service;

(vi) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers

(vii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-short, wounds etc.

(f) The upper age limit shall be relaxed up to maximum of two years for those candidates who are holding in respect of green card under the Family Welfare Programme.

(g) The upper age limit shall also be relaxed up to maximum of five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-Caste Marriage, Incentive Programme of the Schedule Caste, Schedule Tribe and Backward classes Welfare Department.

(h) The General upper age limit shall be relaxed up to maximum of five years in respect of the "Saheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveer Chandra Bhanjdeo Award holder players And National Youth Award holder candidates.

(i) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 38 years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Corporation /Boards.

(j) The upper age limit shall be relaxable in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case the age should exceed 38 years of such home guards of non commissioned officer.

<u>**Note:**</u> **(i)** Candidates who are found eligible for selection under the age concessions mentioned in clause (c) of sub-rule (1) and (2) will not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after the selection. They will, however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(ii) In no other case will these age limits be relaxed. Departmental candidates must obtain previous permission of their appointing authority to appear for the selection.

(k) In respect of age limit the directions issued by the General Administration Department time to time shall be applicable.

(Two) Educational Qualification- The candidate must possess the educational qualifications prescribed for service as shown in schedule-III.

(Three) Fees -The candidate must pay the fees prescribed by Government.

9. **Disqualification-** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means the Appointing Authority may disqualify him for selection to the post.

10. **Appointing Authority's decision about the eligibility of candidates;-** The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and No candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall not be admitted to the interview.

11. **Direct Recruitment by competitive Examination / Selection**

(1) Direct Recruitment by competitive Examination- Appointing Authority shall constitute selection committee consisting of three members.

(i) Competitive examination for recruitment to the service including Stenographer/ Steno typist/Data entry operator/Assistant Grade-III shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, determine from time to time.

As per the instruction issued by the Government from time to time, direct recruitment for the post of warder category, physical fitness test of the candidate shall be taken and thereafter final selection will be done through interview by the Selection Committee.

(ii) The examination shall be held by the Selection Committee in accordance to the orders issued by the Government from time to time.

(2) Direct recruitment by selection-

(i) Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may determine from time to time.

(ii) The selection of the candidate to the service shall be made by the committee after interviewing them.

(3) There shall be reserved posts for the persons belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance to the provisions contained in the Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act,1994 (No.21 of 1994) and according to the orders of the State Government issued from time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other backward classes who are declared eligible for appointment by the Commission keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the case may be.

(6) At the stage of direct recruitment 30 percent post shall be reserved women candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

10 percent post shall be reserved for women candidate in direct recruitment for the post of warder.

(7) Reservation for handicapped person shall be as per the directions of General Administrative Department.

(8) 25 percent posts shall be reserved for Home Guards in the direct recruitment for the post of Warder. Candidates who have completed 3 years of service as Home Guard can only avail the benefit of this reservation.

(9) In such cases, wherever experience of certain duration has been prescribed as a essential condition for the posts to be filled by Direct Recruitment and The Appointing Authority is of the opinion that the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes possessing required experience are not likely to be available in sufficient number for the recruitment on the reserved posts the competent authority may relax the condition of experience for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

12. **List of Candidates Recommended by Selection Committee:-** (1) The Selection Committee shall forwarded for approval to the Appointing Authority names & other details of candidates when the consider most suitable duly arranged in order of preference and of candidates belonging to the schedule castes, schedules tribes, who though not qualified by that standard, are declared by the selection committee to be suitable for appointment to the service with due regards to the maintenance of efficiency in the administration.

(2) The selection list, for appointment on the post of warder shall be approved by the D.G Jail cum I.G. Jail.

(3) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions and Service) Rules, 1961 and candidate shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(4) The inclusion of the candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

13. **Appointment by Promotion :-** (1) There shall be constituted a Committee consisting of members mentioned in Schedule-IV for making preliminary selection for promotion of eligible candidates.

Provided that, for the purpose of constitution of the Committee under this sub-rule, that provisions of Section-3 of the Chhattisgarh civil Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes Reservation) Act 1994 (No.21 of 1994) shall also be adhered to.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Reservation in promotion shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Civil Services (Promotion) Rules, 2003 and in accordance to the orders issued by the Government from time to time.

14. **Conditions of Eligibility for Promotion/Transfer-** (1) Subject to the provision of the sub-rule 2, The Committee shall consider the cases of all persons, who on the first day of January of that year has completed not less then such number of years of the service (whether officiating or substantive) in the post service as mentioned in the column 5 of Schedule IV or any other post or posts declare equivalent thereto by the Government within the zone of consideration in accordance with the provision of sub .rule 2.

Explanation- Method of computation for eligibility for Promotion- The calculation of the period of qualifying services on the 1st January of the year in which Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is called for meeting is done from the year when the Government servant has attained the pay scale of the respective feeder cadre/post of service /post, and not from the date he has attained the pay scale.

(2) Reservation in promotion shall be in accordance with the p. is.ons of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

15. Preparation of list of Suitable Officers - (1) Subject to the provisic . or he sub-rule 2, The Committee shall prepare a list of such persons who satisfy th conditions in rule 14, above and as are held by the Committee to be suitable for .omotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated va.an.'. on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of selection list.

(2) At the time of preparation of selection list the names of th. persons shall arranged in order of seniority in the service or post, as specified in columns (2) of Schedule IV as per Chhattisgarh Civil Service (General conditions for services) Rules, 1961.

Explanation - A person whose name is included in a selection list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(3) The provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 will also be applicable.

16. Selection list -

(1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall be the Select list for promotion of the members of service from the mentioned posts in column (3) of Schedule-IV to the posts mentioned in column (4) of the Schedule IV.

(2) The select list shall valid for a period of one year from the date of preparation in the calendar year for which selection list of promotion shall be prepared .

Provided that in event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and if it thinks fit, may remove the name of such person from the select list.

17. Appointment in the Service from the select list-

(1) Appointments of the persons included in the select list of the posts of the service-cadre shall be made according to the provision of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 serial order of their names listed.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the dates of his proposed appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. Probation - Every person direct recruited to the service shall be Appointed on Probation for a period of two years.

19. Interpretation - If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

20. Relaxation - Nothing content these rules shall be construed as to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable:

Provided that any such type of case shall not be dealt in any manner which is less favourable to him than that provided in these rules.

21. Savings - Nothing in these rules shall effect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this respect.

22. Repeal and Saving - All rules corresponding to these rules and enforced immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
L. S. KEN, Deputy Secretary.

~~ry~~
~~garh,~~
~~tment~~

SCHEDULE-I

(See Rule 5)

Part - A

Chhattisgarh Class-III Civil Services (Non-Ministerial)

S. No.	Name of posts included	No. of Posts	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jailor	06	Class-III	5500-175-9000
2	Probation Officer	01	----do----	5000-150-8000
3	Deputy Supdt. Factories	05	----do----	5000-150-8000
4	Welfare Officer	04	----do----	5000-150-8000
5	Deputy Jailor	34	----do----	4500-125-7000
6	Assistant Jailor	66	----do----	4000-100-6000
7	Chief Head Warder (Dying cadre)	01	----do----	4000-100-6000
8	Male Nurse	02	----do----	4500-125-7000
9	Lab Technician	05	----do----	4500-125-7000
10	Senior Carpentry Instructor	05	----do----	3500-80-4700-100-5200
11	Senior weaving Instructor.	05	----do----	3500-80-4700-100-5200
12	Teacher	31	----do----	4000-100-6000
13	Matron	05	----do----	3500-80-4700-100-5200
14	Press Foremen	03	----do----	3500-80-4700-100-5200
15	Head Warder	118	----do----	3500-80-4700-100-5200
16	Reserve Guards -Head Warder Warder	05 20	----do----	3500-80-4700-100-5200 3050-75-3950-80-4590.
17	Armourer	01	----do----	3500-80-4700-100-5200
18	X-ray Machine Operator	01	----do----	3500-80-4700-100-5200
19	Sanganak (Computer Operator)	01	----do----	3500-80-4700-100-5200
20	Computer Operator	01	----do----	3500-80-4700-100-5200
21	Data Entry Operator	12	----do----	3500-80-4700-100-5200
22	Warder/Women Warder	757	----do----	3050-75-3950-80-4590
23	Warder(Orderly) Inspector General Jail/ Dy.Inspector General, Jail	04	----do----	3050-75-3950-80-4590
24	Paricharika (Nurse)	05	----do----	3050-75-3950-80-4590
25	Carpentry Instructor	05	----do----	3050-75-3950-80-4590
26	Weaving Instructor	05	----do----	3050-75-3950-80-4590
27	Physical Training Instructor	05	----do----	5000-150-8000
28	Tailor Instructor	05	----do----	3050-75-3950-80-4590
29	Black Smith Instructor	01	----do----	3050-75-3950-80-4590
30	Press Compositor	02	----do----	3050-75-3950-80-4590
31	Press Machine Men	03	----do----	3050-75-3950-80-4590
32	Assistant Teacher	01	----do----	3050-75-3950-80-4590
33	Compounder (Pharmacist Grade-II) Full Time)	34	----do----	3050-75-3950-80-4590

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34	Driver	38	----do----	3050-75-3950-80-4590
35	Binder	01	----do----	3050-75-3950-80-4590
36	Offset Instructor	01	----do----	3050-75-3950-80-4590
37	Plate Making Men	01	----do----	3050-75-3950-80-4590

SCHEDULE-I

Part - B

Chhattisgarh Class-III Civil Services (Ministerial)

S. No.	Name of posts included	No. of Posts	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Office Superintendent	01	Class III	5500-175-9000
2	Asstt. Internal Auditor	02	---do---	5000-150-8000
3	Asstt. Statistical Officer	01	---do---	5000-150-8000
4	Assistant Grade-I	04	---do---	4500-125-7000
5	Auditor (Senior Scale)	02	---do---	4500-125-7000
6	Stenographer	01	---do---	4500-125-7000
7	Auditor (Junior Scale)	02	---do---	4000-100-6000
8	Accountant	20	---do---	4000-100-6000
9	Assistant Grade-II	06	---do---	4000-100-6000
10	Assistant Grade-III	15	---do---	3050-75-3950-80-4590
11	Steno-Typist	01	---do---	3050-75-3950-80-4590 plus Spl. pay. as per rules.

SCHEDULE II

(See Rule 6-A, 6-B, 6-C)

Percentage of the number of duty posts to be filled in

Part A- (Class III Non-Ministerial)

Name of Deptt.	S. No	Name of Service	Total No. of duty posts.	Percentage of the number of duty posts to be filled in		
				By Direct Recruitment (Vide Rule 6-A)	By Promotion of Substantive Members (Vide Rule 6-B)	By Transfer of Service (Vide Rule 6-C)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jail Deptt.	1	Jailor	06	--	100%	--
--do--	2	Probation Officer	01	100%	--	--
--do--	3	Deputy Supdt. Factories	05	--	100%	--
--do--	4	Welfare Officer	04	100%	--	--
--do--	5	Deputy Jailor	34	--	100%	--
--do--	6	Assistant Jailor	66	50% By direct recruitment (Through C.G.P.S.C._	50% By Competitive Exam & Oral Interview as per ratio given below:- **A.** 30% by Warder staff. **B.** 10% by Ministerial staff. **C.** 10% by Teacher staff. **Note:** For appearing in Competitive Examination candidate must have 03 years regular service on any of the above posts & must have passed Intermediate exam. Under 10+2 System or Higher Secondary Exam. of old System.	
--do--	7	Chief Head Warder (Dying cadre)	01	--	100%	--
--do--	8	Male nurse	02	100%	-----	--
--do--	9	Lab Technician	05	100%	-----	--
--do--	10	Senior Carpentry Instructor	05	---	100%	--
--do--	11	Senior weaving Instructor	05	-----	100%	--

--do--	12	Teacher	31	95%	05% Promotion from the post of Asstt. Teacher.	--
--do--	13	Matron	05	100%	----	--
--do--	14	Press Foremen	03	100%	-----	--
--do--	15	Head Warder	118		100%	--
--do--	16	Reserve Guards - Head Warder	05	----	100%	--
		Reserve Guards - Warder	20	100	--	--
--do--	17	Armourer	01	--	100%	--
--do--	18	X-ray Machine Operator	01	100%	--	--
--do--	19	Sanganak (Computer Operator)	01	100%	--	--
--do--	20	Computer Operator (Press)	01	100%	--	--
--do--	21	Data Entry Operator	12	100%	--	--
--do--	22	Warder/ Female Warder	757	100%	--	--
--do--	23	Warder (Orderly)	04	100%	--	--
--do--	24	Paricharika (Nurse)	05	100%	--	--
--do--	25	Carpentry Instructor	05	100%	--	--
--do--	26	Tailor Instructor	05	100%	--	--
--do--	27	Weaving Instructor	05	100%	--	--
--do--	28	Physical Training Instructor	05	100%	--	--
--do--	29	Black Smith Instructor.	01	100%	--	--
--do--	30	Press Compositor	02	100%	--	--
--do--	31	Press Machine Men	03	100%	--	--
--do--	32	Assistant Teacher	01	100%	--	--
--do--	33	Pharmacist Grade-II (Compounder) Full Time.	34	100%	--	--
--do--	34	Driver	38	100 %	---	--
--do--	35	Binder	01	100%	-----	--
--do--	36	Offset Instructor	01	100%	-----	--
--do--	37	Plate Making Men.	01	100%	-----	-----

Part-B (Class III Ministerial)

Name of Deptt.	S. No	Name of Service	Total No. of duty posts.	Percentage of the number of duty posts to be filled in		
				By Direct Recruitment (Vide Rule 6-A)	By Promotion of Substantive Members (Vide Rule 6-B)	By Transfer of Service (Vide Rule 6-C)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jail Deptt.	1	Office Superintendent	01	---	100%	----
--do--	2	Assistant Internal Auditor	02	---	----	100% by Deputation from Directorate of Treasury.
--do--	3	Assistant Statistical Officer	01	100%	---	---
--do--	4	Assistant Grade-I	04	----	100%	----
--do--	5	Auditor (Senior Scale)	02	----	100%	-----
--do--	6	Stenographer	01	100%	---	----
--do--	7	Accountant	20	---	100%	----
--do--	8	Auditor (Junior Scale)	02	---	100%	----
--do--	9	Assistant Grade-II	06	---	100%	----
--do--	10	Assistant Grade-III	15	75%	25% by promotion from fourth class employees (peon) who has completed 5 years regular service in that post and have passed high school (10th) Exam. under the 10+2 system.	----
--do--	11	Steno-Typist	01	100%	---	-----

SCHEDULE III

Part A - (Class III Non-Ministerial)

Name of Deptt	Name of Service	Minimum Age Limit.	Upper Age Limit	Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jail Deptt.	Probation/ Welfare Officer	18 Years	35 Years.	A Post Graduate Degree in Social Work or Sociology or Criminology or Practical Psychology from any recognized University.	
--do--	Deputy Supdt. Factories	18 Years	35 year Age limit is not applicable for Promotion.	1. Candidate should passed Higher Secondary Exam. 2. Candidate should have Diploma in Textile Industry from Textile Institution, Carpentry, Black Smith or 10 years Experience in any of the above Discipline in respect of jail Department. This post should fill-up by the promotion of the post from Senior carpentry Instructor/ Senior Weaving Instructor/ Tailor Instructor in the basis of Joint Seniority. The Candidate should be Eligible for promotion from the post of Tailor Instructor to Dy. Supdt. Factories who have completed 20 years regular service in the post of Tailor Instructor. For the Promotion Joint Seniority of concerning employees will be calculated from the First Appointment. Other condition will be as it is.	
Jail Deptt.	Assistant Jailor	18 Years	35 years	Must have passed degree courses of any recognized University. Should posses 1.65 Meter height & 0.80 Meter Unexpanded chest measurement, should posses normal vision in both the eyes & Physically fit in all respect. Women candidate should posses at least 1.58 Meter height, chest measurement is not required.	
--do--	Male nurse	18 Years	35 Years.	1. Must have passed High School Exam. under the 10+2 System or Higher Secondary Examination of Old System. 2. Fully Trained Nurse, 03 years general nursing in men, women & children registered with Nurses Registration Council (Part-A)	
--do--	Lab Technician	18 Years	35 Years.	Must have passed High School Exam under the 10+2 System or Higher Secondary Exam of Old System & Must have Diploma or Trained in Lab Technician Course from any Recognized Institution.	
--do--	Teacher	18 Years	35 Years.	Must have passed High School Exam under the 10+2 System or Higher Secondary Examination of Old System.	
--do--	Matron	18 Years	35 Years.	Must have passed High School Exam under the 10+2 System or Higher Secondary Examination of Old System.	

--do--	Press Foremen	18 Years	35 Years.	Must have passed High School Exam under the 10+2 System or Higher Secondary Exam of Old System. Candidate must have passed ITI Examination in Printing Trade from recognized Institution. Must have experience of 03 years in Composing, Printing Proof Reading and ability to maintain accounts.	
--do--	X-ray Machine Operator	18 Years	35 Years.	Must have passed Higher Secondary Exam under the 10+2 System or Higher Secondary Exam of Old System (with Biology; Chemistry and Physics)& Should have passed prescribed 06 Months training course in Radiographer.	
--do--	Data Entry Operator/ Sangank (Computer Operator)	18 Years	35 Years.	1. Must have passed 12th Exam from Board or 10th Exam from Board & Must have passed three years Diploma in any Subject 2. Must have Diploma in Data Entry Operator / One year Diploma in Programming and should be 8,000 Key "Speed of Depression perhour" Data Entry of Computer in Hindi & English	
--do--	Warder/ Women Warder/ Orderly	18 Years	35 Years.	Must have passed High School Exam. under the 10+2 System or Higher Secondary Exam of Old System. Candidate should posses 1.65 Meter height & 0.83 Meter Unexpanded chest measurement, should posses normal vision in both the eyes. Schedule Tribe Candidate should have passed 8th Exam. Candidate should posses 1.58 Meter height & 0.78 Meter Unexpanded chest measurement, Women candidate should posses at least 1.55 Meter height, chest measurement is not required.	
--do--	Paricharika (Nurse)	18 Years	35 Years.	Must have passed High School Exam under the 10+2 System or Higher Secondary Exam of Old System. Must have passed Nursing Training or Para Medical Training from any Recognized Institution.	
--do--	Carpentry Instructor.	18 Years	35 Years.	Must have passed High School Exam under the 10+2 System or Higher Secondary Exam of Old System. Should have certificate in Carpentry from any Recognized Govt.Technical Institute. Should have at least 03 years experience of Carpentry.	
--do--	Tailor Instructor	18 Years	35 Years.	Must have passed High School Exam under the 10+2 System or Higher Secondary Exam of Old System. Should have Certificate in Tailoring from any Recognized Govt.Technical Institute or Diploma in Tailoring from any Recognized Institute. Should have at least 03 year experience of Tailoring.	
--do--	Weaving Instructor.	18 Years	35 Years.	Must have passed High School Exam under the 10+2 System or Higher Secondary Exam of Old System. Should have Certificate in Weaving from any Recognized Govt.Technical Institute or Diploma in Weaving from any Recognized Institute. Should have at least 03 year experience of Tailoring.	

--do--	Physical Training Instructor.	18 Years	35 Years.	Must have passed High School Exam under the 10+2 System or Higher Secondary Exam of Old System and must have Certificate/Diploma of PTS of any Recognized Institution or should have Diploma in Physical Education and 03 years Practical experience.	
--do--	Black Smith Instructor.	18 Years	35 Years.	Must have passed High School Exam under the 10+2 System or Higher Secondary Exam of Old System. Must have passed ITI Examination in Black Smith.	
--do--	Press Compositor	18 Years	35 Years.	Must have passed High School Exam under the 10+2 System or Higher Secondary Exam of Old System.	
--do--	Press Machine men	18 Years	35 Years.	Must have passed High School Exam under the 10+2 System or Higher Secondary Exam of Old System. Candidate must have passed ITI Examination in Printing Trade from recognized Institution.	
--do--	Assistant Teacher	18 Years	35 Years.	Must have passed High School Exam under the 10+2 System or Higher Secondary Exam of Old System.	
--do--	Compounder (Pharmacist Grade-II)	18 Years	35 Years.	Must have passed High School Exam under the 10+2 System or Higher Secondary Exam of Old System from Science faculty (with Biology). Must have Degree/Diploma in Pharmacy & should registered under the Rule Pharmacy Act.	
--do--	Driver	18 Years	35 Years.	Must have passed 8th Exam and Diploma or Certificate from recognized Institute. Must have Driving License with 02 years Practical experience of Motor Driving.	
--do--	Binder	18 Years	35 Years.	Must have passed High School Exam under the 10+2 System or Higher Secondary Exam of Old System	
--do--	Offset Instructor.	18 Years	35 Years.	Must have passed High School Exam under the 10+2 System or Higher Secondary Exam of Old System and must have passed ITI Examination in Offset Printing from recognized ITI.	
--do--	Plate Making Men	18 Years	35 Years.	Must have passed High School Exam under the 10+2 System or Higher Secondary Exam of Old System and must have passed Examination from recognized Institute / ITI in Offset Plate Making .	

SCHEDULE III
Part B - (Class III Ministerial)

Name of Deptt. (1)	Name of Service (2)	Mini-mum Age Limit (3)	Upper Age Limit (4)	Educational Qualification (5)	Re marks (6)
Jail Deptt.	Assistant Statistical Officer.	18 Years	35 Years.	Must have passed Post Graduate Degree from any recognized University in Commerce or Economics or Sociology in which Statistics should be included as a subject.	
--do--	Steno-grapher	18 Years	35 Years.	1. Must have passed Higher Secondary Exam. or (10+2) Exam. or First Year Exam. of Graduation Course from any Recognized Board /University. 2.Must have posses a Certificate of Hindi Shorthand in 100 word per minute & Typing Exam. in 25 words per minute from any recognized Board or Institution or Shorthand and Typing Council. 3. Must have One year Certificate /Diploma and Data Entry of 10,000 "Key" "speed of per hour in Depression" from recognized Institution.	
--do--	Assistant Grade-III	18 Years	35 Years.	1. Must have passed Higher Secondary Exam. from Recognized Board/University or 10+2 Exam. are first year course of Graduation. 2. Must have passed Hindi Typing Exam in 25 words per minute speed from recognized Board/ Institution. & 3. Must have One Year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/Programming from recognized Institute and should be 5,000 Key Speed of Depression per Hour" of Data Entry.	
--do--	Steno-Typist	18 Years	35 Years.	1. Must have passed Higher Secondary Exam. from Recognized Board / University or 10+2 Exam. are first year course of Graduation. 2. Must have passed Hindi Typing Exam in 25 words per minute speed from recognized Board/ Institution & Should be 60 words per minute speed in Hindi Shorthand. 3. Must have One Year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from recognized Institute and should be 5,000 Key Speed of Depression per Hour" of Data Entry.	

SCHEDULE - IV

(See Rule 13 & 14)
Part A - (Class III Non-Ministerial)

Name of Deptt.	S. No	Name of Service or post from which promotion is to be made	Name of Service or post on which promotion is to be made.	Qualification and essential experience.	Name of Member of Departmental Promotion Committee.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jail Deptt.	1	Deputy Jailor	Jailor	05 year	**Chairman** - The Deputy Inspector General of Jail or nominated member by Director General/ Inspector General. **Member:-** The Superintendent Central Jail or nominated member by Director General/ Inspector General. **Member:** Superintendent District Jail or nominated member by Director General/ Inspector General.
...do...	2	Assistant Jailor	Deputy Jailor	05 year	**Chairman** - The Deputy Inspector General of Jail or nominated member by Director General/ Inspector General. **Member:-** The Superintendent Central Jail or nominated member by Director General/ Inspector General. **Member:** Superintendent District Jail or nominated member by Director General/ Inspector General.
...do...	3	Senior Carpentry Instructor/Senior Weaving Instructor/ Tailor Instructor.	Deputy Supdt. Factories.	05 year	**Chairman** - The Deputy Inspector General of Jail or nominated member by Director General/ Inspector General. **Member:-** The Superintendent Central Jail or nominated member by Director General/ Inspector General. **Member:** Superintendent District Jail or nominated member by Director General/ Inspector General.
...do...	4	Tailoring Instructor	Deputy Supdt. Factories	20 year	**Chairman** - The Deputy Inspector General of Jail or nominated member by Director General/ Inspector General. **Member:-** The Superintendent Central Jail or nominated member by Director General/ Inspector General. **Member:** Superintendent District Jail or nominated member by Director General/ Inspector General.
....do...	5	Carpentry Instructor.	Senior Carpentry Instructor	05 year	**Chairman** - The Deputy Inspector General of Jail or nominated member by Director General/ Inspector General. **Member:-** The Superintendent Central Jail or nominated member by Director General/ Inspector General. **Member:** Superintendent District Jail or nominated member by Director General/ Inspector General.
...do...	6	Weaving Instructor	Senior Weaving Instructor	05 year	**Chairman** - The Deputy Inspector General of Jail or nominated member by Director General/ Inspector General. **Member:-** The Superintendent Central Jail or nominated member by Director General/ Inspector General. **Member:** Superintendent District Jail or nominated member by Director General/ Inspector General.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
...do...	7	Warder (Such warder whose are legally trained in Armorer are promoted on the post of Armorer)	Chief Warder/ Armorer	05 year	**Chairman-** Any other Superintendent of Central Jail excluding the related Circle Jail or nominated member by Director General/ Inspector General. **Member:** Superintendent, District Jail or nominated member by Director General/ Inspector General **Member:** Senior Jailor/Jailor of related Circle Jail or nominated member by Director General /Inspector General

SCHEDULE IV

(See Rule 13 & 14)

Part B - (Class III Ministerial)

Name of Deptt.	S. No.	Name of Service or post from which promotion is to be made	Name of Service or post on which promotion is to be made.	Qualification and essential experience.	Name of Member of Departmental Promotion Committee.	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jail Deptt.	1	Assistant Grade-I / Auditor (Senior Scale)	Office of Superintendent	05 year	**Chairman-** The Deputy Inspector General of Jail or nominated member by Director General/ Inspector General. **Member:-** The Superintendent Central Jail or nominated member by Director General/ Inspector General. **Member:** Superintendent District Jail or nominated member by Director General/ Inspector General.	
...do...	2	Auditor (Junior Scale/ Accountant.	Assistant Grade-I/ Auditor (Senior Scale)	05 year	**Chairman** - The Deputy Inspector General of Jail or nominated member by Director General/ Inspector General. **Member:-** The Superintendent Central Jail or nominated member by Director General/ Inspector General. **Member:** Superintendent District Jail or nominated member by Director General/ Inspector General.	
...do...	3	Assistant Grade-II	Assistant Grade-I	05 year	**Chairman** - The Deputy Inspector General of Jail or nominated member by Director General/ Inspector General. **Member:-** The Superintendent Central Jail or nominated member by Director General/ Inspector General. **Member:** Superintendent District Jail	

					or nominated member by Director General/ Inspector General.	
...do...	4	Assistant Grade-III (Accounts Trained)	Accountant/ Auditor (Junior Scale)	05 year	**Chairman** - The Deputy Inspector General of Jail or nominated member by Director General/ Inspector General. **Member:-** The Superintendent Central Jail or nominated member by Director General/ Inspector General. **Member:** Superintendent District Jail or nominated member by Director General/ Inspector General	
...do...	5	Assistant Grade-III	Assistant Grade-II	05 year	**Chairman** - The Deputy Inspector General of Jail or nominated member by Director General/ Inspector General. **Member:-** The Superintendent Central Jail or nominated member by Director General/ Inspector General. **Member:** Superintendent District Jail or nominated member by Director General/ Inspector General.	
...do..	6	Eligible Fourth Class Employee (Peon)	Assistant Grade-III	05 year	**Chairman** - The Deputy Inspector General of Jail or nominated member by Director General /Inspector General. **Member:-**The Superintendent Central Jail or nominated member by Director General/ Inspector General. **Member:** Superintendent District Jail or nominated member by Director General/ Inspector General.	

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 4 अप्रैल 2009

क्रमांक/451/प्र-1/2009/अ. वि. अ./09—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-सोनपांडर, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.21 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	620	0.11
	630	0.05
	631/1	0.05
योग	3	0.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 अप्रैल 2009

क्रमांक/452/प्र-1/2009/अ. वि. अ./09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-करमू, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.02 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	165/1	0.01
	166	0.01
योग	2	0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 अप्रैल 2009

क्रमांक/453/प्र-1/2009/अ. वि. अ./09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-मासूलगोंदी, प. ह. नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.53 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
574	0.19
575/1	0.24

	(1)	(2)
	581/1	0.10
योग	3	0.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 अप्रैल 2009

क्रमांक/454/प्र-1/2009/अ. वि. अ./09—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-तुमड़ीपार, प. ह. नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.25 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	149/1	0.25
योग		0.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 अप्रैल 2009

क्रमांक/455/प्र-1/2009/अ. वि. अ./09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-महीदही, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.53 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	316/1	0.05
	318	0.04
योग	2	0.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानसुार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), जिला-बस्तर

जगदलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2009

क्र./165/भू-अ/स. अ. भू-अ. 2/रा.नि.मं. पुनर्ग./2009.—छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, एम. एस. परस्ते, कलेक्टर, जिला बस्तर एतदद्वारा तहसील बड़ेराजपुर के दस पटवारी हल्कों पर एक राजस्व निरीक्षक मंडल का

पुनर्गठन सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा. नि. मं.	प. ह. नं. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बड़ेराजपुर	विश्रामपुरी	कोरगांव 1	कोरगांव	कोरगांव
2.				बैजनपुरी वन ग्राम	बैजनपुरी
3.				आमागुहान वन ग्राम	बैजनपुरी
				योग 03	
4.			कोंगेरा 2	कोंगेरा	कोंगेरा
5.				कोरहोबेंड़ा	कोरहोबेंड़ा
6.				सोनपुर	कोरहोबेंड़ा
				योग 03	
7.			बिश्रामपुरी 3	बिश्रामपुरी	बिश्रामपुरी
				योग 01	
8.			खलारी 4	खल्लारी	खल्लारी
9.				कोसमी	कोसमी
10.				गोविन्दपुर वन ग्राम	कोसमी
				योग 03	
11.			पेण्ड्रावन 5	पेण्ड्रावन	पेण्ड्रावन
12.				पिटेचुवा	पिटेचुवा
13.				सरगीपाल	पिटेचुवा
				योग 03	
14.			बाडागांव 6	बाडागांव	बाडागांव
15.				मानिकपुर वन ग्राम	बाडागांव
16.				कुरूभाट	बाडागांव
17.				हात्मा	हात्मा
18.				बस्तरबुड़रा वन ग्राम	हात्मा
				योग 05	
19.			मचली 7	मचली	मचली
20.				उडिदगांव	मचली
21.				होनावडी	होनावडी
				योग 03	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	बड़ेराजपुर	विश्रामपुरी	सलना 8	सलना	सलना
23.				कैंदकेरा	कौंदकेरा
24.				छोटेमालगांव	कौंदकेरा
				योग 03	
25.			पलना 9	पलना	पलना
26.				मारंगपुरी	मारंगपुरी
27.				चिचाड़ी	मारंगपुरी
				योग 03	
28.			पारोण्ड 10	पारोण्ड	पारोण्ड
29.				खजरावण्ड	खजरावण्ड
30.				मैनपुर	खजरावण्ड
				योग 03	
31.	बड़ेराजपुर	बड़ेराजपुर	लिहागांव 11	लिहागांव	लिहागांव
32.				आमगांव	आमगांव
				योग 02	
33.			बांसकोट 12	बांसकोट	बांसकोट
				योग 01	
34.			बालेंगा 13	बालेंगा	बालेंगा
35.				किवडा	किवडा
				योग 02	
36.			हरवेल उर्फ तरईबेड़ा 14	हरवेल उर्फ तरईबेड़ा	हरवेल उर्फ तरईबेड़ा
37.				धामनपुरी	धामनपुरी
				योग 02	
38.			बड़ेराजपुर 15	बड़ेराजपुर	बड़ेराजपुर
39.				टेंवसा	टेंवसा
40.				कलगांव	टेंवसा
				योग 03	
41.			छोटेराजपुर 16	छोटेराजपुर	छोटेराजपुर
42.				पांडोकी	छोटेराजपुर
43.				माडौकीखरगांव	माडोकीखरगांव
44.				कलगांव उर्फ कलेपाल	माडोकीखरगांव
				योग 04	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
45.	बड़ेराजपुर	बड़ेराजपुर	कोपरा 17	कोपरा	कोपरा
46.				छिन्दली	छिन्दली
				योग 02	
47.			बडबत्तर 18	बडबत्तर	बड़बत्तर
48.				ढोडरा	ढोडरा
49.				नौकाबेड़ा	ढोंडरा
				योग 03	
50.			तितिरवण्ड 19	तितिरवण्ड	तितिरवण्ड
51.				पीढ़ापाल	पीढ़ापाल
52.				हल्दा	पीढ़ापाल
53.				कुल्दाडीही	पीढ़ापाल
				योग 04	
54.			गम्हरी 20	गम्हरी	गम्हरी
55.				जोड़ेकेरा	जोडेकेरा
56.				करमरी	जोडेकेरा
				योग 03	

राजस्व ग्राम - 51, वनग्राम - 05, कुल - 56 ग्राम
कुल पंचायत - 38

जगदलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2009

क्र./165/भू-अ/स. अ. भू-अ. 2/रा.नि.मं. पुनर्ग./2009.—छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, एम. एस. परस्ते, कलेक्टर, जिला बस्तर एतद्द्वारा तहसील केशकाल के दस पटवारी हल्कों पर एक राजस्व निरीक्षक मंडल का पुनर्गठन सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा. नि. मं.	प. ह. नं. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	केशकाल	धनोरा	ईरागांव 1	ईरागांव	ईरागांव
2.				उमला	ईरागांव
3.				चुरेगांव	चुरेगांव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	केशकाल	धनोरा	ईरागांव 1	कावागांव	चुरेगांव
5.				सवालवाही	चुरेगांव
6.				डुण्डाबेडमा	चुरेगांव
				योग 06	
7.			बिन्झें 2	बिन्झें	बिन्झें
8.				कानागांव	कानागांव
9.				कोरगांव	कानागांव
10.				कलेपाल	कलेपाल
11.				पराली	कलेपाल
12.				बुयकीजुंगानार	कलेपाल
				योग 06	
13.			बड़ेखौली 3	बड़खौली	बड़ेखौली
14.				बिटालखौली	बड़ेखौली
15.				पड्डे	बड़ेखौली
16.				तोडासी	तोडासी
17.				गददाड	तोडासी
				योग 05	
18.			करमरी 4	करमरी	करमरी
19.				बेलगांव	करमरी
20.				हिचका	हिचका
21.				तिमडी	हिचका
22.				कोटोडी	हिचका
				योग 05	
23.			धनोरा 5	धनोरा	धनोरा
24.				कर्रारमेटा	कर्रारमेटा
25.				भाटगांव	धनोरा
26.				कोरकोटी	कोरकोटी
27.				हुडावा	कोरकोटी
28.				बदवर	कोरकोटी
29.				खालेबेदी	कोरकोटी
				योग 07	
30.			सवाला 6	सवाला	सवाला
31.				बनियागांव	बनियागांव
32.				सिलाटी	बनियागांव
				योग 03	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33.	केशकाल	धनोरा	कुए 7	कुए	कुए
34.				भंडारपाल	कुए
35.				मिडदे	कुए
36.				माडगांव	कुए
37.				कुमुड	कुए
38.				कुदाडवाही	कुए
39.				चेरबेड़ा	कुए
40.				रावबेडा	रावबेडा
41.				बेडमामारी	रावबेडा
42.				उपरचंदेली	रावबेडा
43.				उपरबेदी	रावबेडा
44.				गिरगोली	रावबेड़ा
45.				तुतारी	रावबेड़ां
46.				बावनीमारी	रावबेड़ा
				योग 14	
47.			होनहेड 8	होनहेड	होनहेड
48.				कुपागोंदी	होनहेड
49.				घोडाझर	होनहेड
50.				सेन्दूरमेटा	होनहेड
51.				खालेचंदेली	होनहेड
52.				मातेंगा	होनहेड
53.				उमरादाह	होनहेड
54.				उपरमुरवेंड	होनहेड
				योग 08	
55.			अरण्डी 20	अरण्डी	अरण्डी
56.				आंवरी	आंवरी
				योग 02	
57.			खेतरपाल 21	खेतरपाल	खेतरपाल
58.				चारभाटा	चारभाटा
59.				पलोरा	चारभाटा
				योग 03	
60.			मस्सूकोकोडा 22	मस्सूकोकोडा	मस्सूकोकोडा
61.				नयानार	नयानार
62.				हरवाकोड़ो	नयानार
63.				नवागढ़	नयानार
				योग 04	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
64.	केशकाल	केशकाल	खालेमुरवेण्ड 9	खालेमुरवेण्ड	खालेमुरवेण्ड
65.				ढोढरेपाल	खालेमुरवेण्ड
66.				फरेसगांव उर्फ मुरनार	खालेमुरवेण्ड
67.				कुकडादाह	खालेमुरवेण्ड
68.				चिपरेल	चिपरेल
69.				माहुरबेड़ा	चिपरेल
70.				दादरगढ़	चिपरेल
71.				सालेभाट	सालेभाट
72.				हरवेल	सालेभाट
				योग 09	
73.			सुरडोंगर 10	गौरगांव	गौरगांव
74.				सुरडोंगर	सुरडोंगर
				योग 02	
75.			कोहकामेटा 11	कोहकामेटा	कोहकामेटा
76.				नलाझर (वन ग्राम)	कोहकामेटा
77.				सिदावण्ड	सिदावण्ड
78.				मांझीचेर्रा	सिदावण्ड
79.				हलिया	सिदावण्ड
				योग 05	
80.			अड़ेंगा 12	अड़ेंगा	अड़ेंगा
81.				प्रधानचेर्रा	प्रधानचेर्रा
82.				जरंडी	प्रधानचेर्रा
83.				सिवनीपाल	प्रधानचेर्रा
				योग 04	
84.			जामगांव 13	जामगांव	जामगांव
85.				कोदोभाट	कोदोभाट
86.				ब्यालपुर	कोदोभाट
				योग 03	
87.			केशकाल 14	केशकाल	नगर पंचायत
88.				गढ़सिलयारी	नगर पंचायत
89.				बोरगांव	बोरगांव
				योग 03	
90.			बटराली 15	बटराली	बटराली
91.				सरगीपाल	बटराली

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
92.	केशकाल	केशकाल	बटराली 15	रांधा	बटराली
93.				गढ़धनोरा	बटराली
94.				तुमसकोनाड़ी	बटराली
				योग 05	
95.			सिंगनपुर 16	सिंगनपुर	सिंगनपुर
96.				निराछिन्दली	निराछिन्दली
97.				नारना	निराछिन्दली
98.				उंदरी	निराछिन्दली
				योग 04	
99.			बेड़मा 17	टोसकापाल	टोसकापाल
100.				बेड़मा	बेड़मा
101.				आदनबेड़ा	बेड़मा
				योग 03	
102.			सिकागांव 18	गरावण्डी	गरावण्डी
103.				सिकागांव	सिकागांव
104.				सालेभाट	सिकागांव
				योग 03	
105.			पीपरा 19	पीपरा	पीपरा
				योग 01	

राजस्व ग्राम-104, वनग्राम-01, कुल 105 ग्राम
कुल पंचायत-43

जगदलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2009

क्र./165/भू-अ/स. अ. भू-अ. 2/रा.नि.मं. पुनर्ग./2009.—छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, एम. एस. परस्ते, कलेक्टर, जिला बस्तर एतद्द्वारा तहसील फरसगांव के दस पटवारी हल्कों पर एक राजस्व निरीक्षक मंडल का पुनर्गठन सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा. नि. मं.	प. ह. नं. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	फरसगांव	उरन्दाबेड़ा	फुण्डेर 01	फुण्डेर	फुण्डेर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	फरसगांव	उरन्दाबेड़ा	फुण्डेर 01	दावड़े	फुण्डेर
3.				बड़ेओड़ागांव	बड़ेआड़ागांव
4.				बाड़ागांव	बड़ेआड़ागांव
				योग 04	
5.			चनियागांव 02	चनियागांव	चनियागांव
6.				देवगांव	देवगांव
7.				जामगांव	देवगांव
				योग 03	
8.			बंजोड़ा 03	बंजोड़ा	बंजोड़ा
9.				छिंदलीबेड़ा	छिंदलीबेड़ा
10.				गवाड़ी	छिंदलीबेड़ा
				योग 03	
11.			हाटचपई 04	हाटचपई	हाटचपई
12.				तोयापाल	हाटचपई
13.				तुरकी	हाटचपई
14.				बोकराबेड़ा	बोकराबेड़ा
15.				छोटेओड़ागांव	बोकराबेड़ा
16.				कोण्डापखना	बोकराबेड़ा
				याग 06	
17.			कोनगुड़ 05	कोनगुड़	कोनगुड़
18.				बड़गई	बड़गई
19.				बारदा	बड़गई
20.				मिसरी	बड़गई
				योग 04	
21.			मोदे 06	मोदे	मोदे
22.				मोदेबेड़मा	मोदे
23.				कन्हारगांव	मोदे
24.				कोकोड़ाजुगानार	कोकोड़ाजुगानार
25.				परोदा	कोकोड़ाजुगानार
				योग 05	
26.			उरंदाबेड़ा 07	उरंदाबेड़ा	उरंदाबेड़ा
27.				नेट	उरंदाबेड़ा
28.				मांदागांव	उरंदाबेड़ा
29.				आमगांव	आमगांव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30.	फरसगांव	उरन्दाबेड़ा	उरंदाबेड़ा 07	कुलानार	आमगांव
31.				कोलेंगा	आमगांव
				योग 06	
32.			कोटपाड़ 08	कोटपाड़	कोटपाड़
33.				मड़कड़ा	कोटपाड़
34.				गोड़मा	गोड़मा
35.				तोरण्ड	गोड़मा
36.				बोथा	गोड़मा
37.				कोरई	गोड़मा
				योग 06	
38.	फरसगांव	बड़ेडोंगर	पावड़ा 9	पावड़ा	पावड़ा
39.				खण्डसरा	पावड़ा
40.				भोगापाल	भोगापाल
41.				आदवाल	भोगापाल
42.				झाकरी	भोगापाल
				योग 05	
43.			मैनपुर 10	मैनपुर	मैनपुर
44.				फुटानचांदागांव	मैनपुर
45.				गोहड़ा	गोहड़ा
46.				फरसगांवकसई	गोहड़ा
47.				आलमेर	गोहड़ा
				योग 05	
48.			चिंगनार 11	चिंगनार	चिंगनार
49.				रांधना	चिंगनार
50.				मोड़ेगा	मोड़ेगा
51.				केहलाकोट	मोड़ेगा
52.				पलना	मोड़ेगा
				योग 05	
53.			बंगोली 12	बंगोली	बंगोली
54.				बनचपई	वनचपई
55.				चियानार	वनचपई
56.				सदाड़ी (वन ग्राम)	वनचपई
				योग 04	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
57.	फरसगांव	बड़ेडोंगर	बड़ेडोंगर 13	बड़ेडोंगर	बड़ेडोंगर
58.				चांदाबेड़ा	चांदाबेड़ा
59.				छिन्दली	चांदाबेड़ा
60.				मोहपाल (वन ग्राम)	मोहपाल
61.				ढिगानार (वन ग्राम)	मोहपाल
				योग 05	
62.			आलोर 14	आलोर	आलोर
63.				कोन्दाबेड़ा	आलोर
64.				भण्डारवण्डी	भण्डारवण्डी
65.				बैलगांव	भण्डारवण्डी
				योग 04	
66.			शंकरपुर 20	शंकरपुर	शंकरपुर
67.				पैसरा	शंकरपुर
68.				फुपगांव	फुपगांव
				योग 03	
69.			भानपुरी 21	भानपुरी	भानपुरी
70.				भुमका	भुमका
71.				हिर्री	भुमका
				योग 03	
72.	फरसगांव	फरसगांव	मांझीआठगांव 15	मांझीआठगांव	मांझीआठगांव
73.				चिचाड़ी	चिचाड़ी
74.				पाटला	चिचाड़ी
				योग 03	
75.			पासंगी 16	पासंगी	पासंगी
76.				बानगांव	बानगांव
				योग 02	
77.			फरसगांव 17	फरसगांव	फरसगांव
78.				पतोड़ा	पतोड़ा
79.				कोर्राबड़गांव	पतोड़ा
				योग 03	
80.			पाण्डेआठगांव 18	पाण्डेआठगांव	पाण्डेआठगांव
81.				गट्टीपलना	गट्टीपलना

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
82.	फरसगांव	फ़रसगांव	पाण्डेआठगांव 18	जुगदई	गट्‌टीपलना
				योग 03	
83.			बोरगांव 19	पु. बोरगांव	बोरगांव
84.				पश्चिम बोरगांव	बोरगांव
85.				बोरगांव (वनग्राम)	बोरगांव
86.				सिंगारपुरी	सिंगारपुरी
87.				चुरेगांव	सिंगारपुरी
				योग 05	
88.			कुल्हाड़गांव 22	कुल्हाड़गांव	कुल्हाड़गांव
89.				सारबेड़ा	कुल्हाड़गांव
90.				जुगानीकलार	जुगानीकलार
				योग 03	
91.			भण्डारसिवनी 23	भण्डारसिवनी	भण्डारसिवनी
92.				चरकई	चरकई
93.				चांदागांव	चरकई
94.				मोहलई	माहलई
95.				चांदाबेलगांव	माहलई
				योग 05	
96.			लंजोड़ा 24	लंजोड़ा	लंजोड़ा
97.				सिरपुर	सिरपुर
98.				गुमड़ी	सिरपुर
				योग 03	
99.			खोड़मा 25	सोड़मा	सोड़मा
100.				कुम्हारबड़गांव	सोड़मा
101.				सिरसीकलार	सिरसीकलार
102.				कारागांव	सिरसीरकलार
				योग 04	
103.			जैतपुरी 26	जैतपुरी	जैतपुरी
104.				कबोंगा	कबोंगा
105.				कोसागांव	कबोंगा
				योग 03	

राजस्व ग्राम-101, वनग्राम-05, कुल 105 ग्राम
कुल पंचायत-154

जगदलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2009

क्र./165/भू-अ/स. अ. भू-अ. 2/रा.नि.मं. पुनर्ग./2009.—छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, एम. एस. परस्ते, कलेक्टर, जिला बस्तर एतद्द्वारा तहसील माकड़ी के दस पटवारी हल्कों पर एक राजस्व निरीक्षक मंडल का पुनर्गठन सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा. नि. मं.	प. ह. नं. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	माकड़ी	माकड़ी	बरकई 1	बरकई	बरकई
2.				नलाझर	बरकई
3.				सोनाबेड़ा	सोनाबेड़ा
				योग 03	
4.			पुसापाल 2	पुसापाल	पुसापाल
5.				कोटवेल	पुसापाल
6.				गुहाबोरण्ड	गुहाबोरण्ड
7.				देवडोंगर	गुहाबोरण्ड
				योग 04	
8.			रांधना 3	रांधना	रांधना
9.				देवहरदुली	रांधना
10.				भीरागांव	भीरागांव
11.				भाटगांव	भीरागांव
				योग 04	
12.			तारगांव 4	कोसाहरदोली	कोसाहरदोली
13.				तारगांव	कोसाहरदोली
14.				गारे	गारे
15.				उदेंगा	गारे
				योग 04	
16.			उलेरा 5	उलेरा	उलेरा
17.				बागबेड़ा	बागबेड़ा
18.				खुड़ी	बागबेड़ा
				योग 03	
19.			लुभा 6	लुभा	लुभा
20.				तितना	लुभा
21.				संडसा	लुभा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	माकड़ी	माकड़ी	लुभा 6	ठेमगांव	ठेमगांव
23.				कोकोड़ी	ठेमगांव
				योग 05	
24.			ओण्डरी 7	ओण्डरी	ओण्डरी
25.				सोड़सिवनी	ओण्डरी
26.				काटागांव	काटागांव
27.				जड़कोंगा	काटागांव
				योग 04	
28.			बालोण्ड 8	बालोण्ड	बालोण्ड
29.				हुक्काबेड़ापाथरी	हुक्काबेड़ापाथरी
30.				बीवला	हुक्काबेड़ापाथरी
				योग 03	
31.			मांझीबोरण्ड 9	मांझीबोरण्ड	मांझीबोरण्ड
32.				बाडरा	मांझीबोरण्ड
33.				केरावाही	केरावाही
				योग 03	
34.			शामपुर 10	शामपुर	शामपुर
35.				मारागांव	मारागांव
				योग 02	
36.			बवई 11	बवई	बवई
37.				छोटेसलना	बवई
38.				कावरा	कावरा
39.				करमरी	कावरा
				योग 04	
40.			बुडरा 12	बुडरा	बुडरा
41.				टेडमुन्डा	बुडरा
42.				लभा	लभा
43.				दण्डवन	लभा
44.				हाड़ीगांव	हाड़ीगांव
45.				बड़गांव	हाड़ीगांव
				योग 06	
46.			माकड़ी 13	माकड़ी	माकड़ी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
47.	माकड़ी	माकड़ी	माकड़ी 13	भिरंडा	माकड़ी
48.				उमरगांव	उमरगांव
49.				बेलगांव	उमरगांव
				योग 04	
50.	माकड़ी	बीजापुर	मगेदा 14	मगेदा	मगेदा
51.				भतवा	मगेदा
52.				ओटेंडा	ओटेंडा
				योग 03	
53.			जरण्डी 15	जरण्डी	जरण्डी
54.				पीड़ापाल	पीड़ापाल
55.				अरंगुला	पीड़ापाल
				योग 03	
56.			धारली 16	धारली	धारली
57.				जोधरा (वनग्राम)	धारली
58.				उड़ीदगांव	इंगरा
59.				इंगरा	इंगरा
				योग 04	
60.			सोड़मा 17	सोड़मा	सोड़मा
61.				सोहंगा	सोड़मा
62.				कुरलूबहार	कुरलूबहार
63.				मिरमिण्डा	कुरलूबहार
				योग 04	
64.			हिरापुर 18	हिरापुर	हिरापुर
65.				हिरावण्डी	हिरापुर
66.				बेलोडी	बेलोडी
67.				तोरेंगा	बेलोडी
68.				बालेंगा (विरान)	बेलोडी
				योग 05	
69.			एरला 29	तोरन्डी	एरला
70.				राकसबेड़ा (विरान)	एरला
71.				राकसबेड़ा (वनग्राम)	एरला
72.				एरला	एरला
73.				सिवनी	तोरन्डी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
74.	मांकड़ी	बीजापुर	एरला 29	गुमड़ी	तोरन्डी
75.				गागड़ा (वनग्राम)	तोरन्डी
				योग 07	
76.			बीजापुर 20	बीजापुर	बीजापुर
77.				हिरलाघाट	बीजापुर
78.				करन्डी	करन्डी
79.				तमरावंड (वनग्राम)	तमरावण्ड
80.				देवगांव (वनग्राम)	तमरावण्ड
81.				अमरावती (वनग्राम)	अमरावती
82.				बड़े अमरावती (विरान)	अमरावती
83.				छोटे अमरावती	अमरावती
84.				बेलगांव (वनग्राम)	बेलगांव
85.				देउरबाल (वनग्राम)	बेलगांव
86.				तुमबेड़ा (वनग्राम)	बेलगांव
87.				ओडरगांव (वनग्राम)	ओडारगांव
88.				तरई बेड़ा (वनग्राम)	ओडारगांव
89.				तुर्रेबेड़ा (वनग्राम)	ओडारगांव
				योग 14	
90.			बड़ेघेड़सरा 21	बड़ेघेड़सरा	बड़ेघेड़सरा
91.				छोटे घोड़सरा	बड़ेघेड़सरा
92.				बिंजोली	बिंजोली
				योग 03	
93.			अनंतपुर 22	अनंतपुर	अनंतपुर
94.				बड़ेसोहगा	बड़ेसोहगा
95.				बेड़ागांव	बड़ेसोहगा
96.				छोटेसोहंगा	बड़ेसोहगा
				योग 04	
97.			छिनारी 23	छिनारी	छिनारी
98.				नेवरा (वनग्राम)	छिनारी
99.				छतौड़ी	छतौड़ी
100.				किरमारी (वनग्राम)	छतौड़ी
				योग 04	

राजस्व ग्राम-85, वनग्राम-15, कुल ग्राम-100

पंचायत - 51

जगदलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2009

क्र./165/भू-अ/स. अ. भू-अ. 2/रा.नि.मं. पुनर्ग./2009.—छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, एम. एस. परस्ते, कलेक्टर, जिला बस्तर एतद्द्वारा तहसील कोण्डागांव के दस पटवारी हल्कों पर एक राजस्व निरीक्षक मंडल का पुनर्गठन सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा. नि. मं.	प. ह. नं. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कोण्डागांव	किबईबालेंगा	केजंग 1	केजंग	केजंग
2.				बड़को	केजंग
3.				मूंगवाल	केजंग
4.				रेंगागोंदी	केजंग
5.				नरिहा	नरिहा
6.				मड़ानार	नरिहा
7.				पेरमापाल	नरिहा
				योग 07	
8.			बयानार 2	बयानार	बयानार
9.				जोगीआलवाड़	बयानार
10.				कोरहोबेड़ा	बयानार
11.				टेमरूगांव	टेमरूगांव
12.				चेरंग	टेमरूगांव
				योग 05	
13.			बांसगांव 3	बांसगांव	बांसगांव
14.				तोड़म	बांसगांव
15.				बावड़ी	बांसगांव
16.				मड़ागांव	बांसगांव
17.				कोंगेरा	कोंगेरा
18.				तुगाली	कोंगेरा
19.				तेलंगा	कोंगेरा
				योग 07	
20.			चोड़ेग 4	चोड़ेग	चोड़ेग
21.				पाला	चोड़ेग
22.				कोदागांव	चोड़ेग
23.				चिमड़ी	चिमड़ी
24.				चलका	चिमड़ी
				योग 05	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25.	कोण्डागांव	किबईबालेंगा	किवईबालेंगा 5	किवईबालेंगा	किवईबालेंगा
26.				कोकोड़ी	किवईबालेंगा
27.				वनजुगनी	वनजुगनी
28.				कराढी आलवाड़	वनजुगनी
				योग 04	
29.			बुनागांव 6	बुनागांव	बुनागांव
30.				गुलमा	बुनागांव
31.				मालाकोट	मालाकोट
				योग 03	
32.			उमरगांव 7	उमरगांव (अ)	उमरगांव (अ)
33.				वनसिरसी	उमरगांव (अ)
34.				केंवटी	उमरगांव (अ)
35.				दाढ़िया	उमरगांव (अ)
36.				चिचडोंगरी	चिचडोंगरी
37.				मथनीबेड़ा व. ग्रा.	चिचडोंगरी
38.				कोटेलबेड़ा व. ग्रा.	चिचडोंगरी
39.				सिरसीबेड़ा व. ग्रा.	चिचडोंगरी
				योग 08	
40.			मसोरा 8	मसोरा	मसोरा
41.				भीरागांव (ब)	भीरागांव (ब)
42.				देवखरगांव	भीरागांव (ब)
				योग 03	
43.			गिरोला नया 9	गिरोला	गिरोला
44.				सातगांव	सातगांव
				योग 02	
45.			पल्ली 10	पल्ली	पल्ली
46.				भोगाड़ी	भोगाड़ी
47.				सितली	भोगाड़ी
48.				इन्दागांव	भोगाड़ी
				योग 04	
49.	कोण्डागांव	कोण्डागांव	डोंगरीगुड़ा 11	डोंगरीगुड़ा	डोंगरीगुड़ा
50.				चिलपुटी	चिलपुटी
				योग 02	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
51.	कोण्डागांव	कोण्डागांव	कोण्डागांव 12	कोण्डागांव	नगर पंचायत
52.				कुम्हारपारा	कुम्हारपारा
53.				पलारी	पलारी
				योग 02	
54.			कोण्डागांव 13	सम्बलपुर	सम्बलपुर
55.				चिखलपुटी	चिखलपुटी
56.				चिंचपोलंग	चिखलपुटी
57.				दूधगांव	चिखलपुटी
				योग 04	
58.			कोकोड़ी 14	कोकोड़ी	कोकोड़ी
59.				बोलबोला	बोलबोला
60.				जरेबेंदरी	बोलबोला
61.				छोटेबंगोड़ा	बोलबोला
				योग 04	
62.			बफना 15	बफना	बफना
63.				फरसगांव	बफना
64.				भगदेवा	भगदेवा
				योग 03	
65.			मुलमुला 16	मुलमुला	मुलमुला
66.				मरवाखेड़ा व. ग्रा.	मुलमुला
67.				नवेता	नवेता
				योग 03	
68.			सिंगनपुर 17	सिंगनपुर	सिंगनपुर
69.				डोंगरसिलाटी वन ग्राम	सिंगनपुर
70.				फूकागिरोला	फूकागिरोला
71.				बड़ेसिलाटी वन ग्राम	फूकागिरोला
				योग 04	
72.			मालगांव 18	मालगांव	मालगांव
73.				नीलजी	मालगांव
74.				कतावण्ड	मालगांव
75.				भीरागांव (अ)	भीरागांव (अ)
76.				सीधावंड	भीरागांव (अ)
				योग 05	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
77.	कोण्डागांव	कोण्डागांव	चिपावंड 19	चिपावंड	चिपावंड
78.				काकड़बेड़ा व. ग्रा.	चिपावंड
79.				उमरगांव (ब)	उमरगांव (ब)
80.				कुलझर	उमरगांव (ब)
				योग 04	
81.			बड़ेबेंदरी 20	बड़ेबेन्दरी	बड़ेबेन्दरी
82.				बड़ेभिरावंड	बड़ेभिरावंड
83.				छोटेभिरावंड	बड़ेभिरावंड
84.				लखनपुरी	बड़ेभिरावंड
				योग 04	
85.	कोण्डागांव	दहीकोंगा	बड़ेकनेरा 21	बड़ेकनेरा	बड़ेकनेरा
86.				कमेला	कमेला
				योग 02	
87.			करंजी 22	करंजी	करंजी
88.				बारवरा	बारवरा
				योग 02	
89.			राजागांव 23	राजागांव	राजागांव
90.				कुकाड़गारकापाल	कुकाड़गारकापाल
				योग 02	
91.			दहिकोंगा 24	दहिकोंगा	दहिकोंगा
92.				सुकूरपाल	सुकूरपाल
				योग 02	
93.			बनियागांव 25	बनियागांव	बनियागांव
94.				कुसमा	कुसमा
95.				कचोरा	कुसमा
				योग 03	
96.			बम्हनी 26	बम्हनी	बम्हनी
97.				कारसिंह (वन)	बम्हनी
98.				इसलनार	इसलनार
99.				धनसुली	इसलनार
100.				चमई (वन.)	इसलनार
				योग 05	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
101.	कोण्डागांव	दहीकोंगा	सोनाबाल 27	सोनाबाल	सोनाबाल
102.				मडानार	मडानार
103.				नगरी	मडानार
				योग 03	
104.			बड़ेबेंजोड़ा 28	बड़ेबेंजोड़ा	बड़ेबेंजोड़ा
105.				बोटीकनेरा	बड़ेबेंजोड़ा
106.				पुसावंड	पुसावंड
107.				काकड़गांव व. ग्रा.	पुसावंड
				योग 04	
108.			जोबा 29	जोबा	जोबा
109.				बड़ेउसरी	जोबा
110.				घोड़ागांव	घोड़ागांव
				योग 03	
111.			माकड़ी 30	माकड़ी	माकड़ी
112.				वनउसरी (वन)	माकड़ी
113.				मोहलई	मोहलई
				योग 03	
114.			मुनगापदर 31	मुनगापदर	मुनगापदर
115.				मेड़पाल वन ग्राम	मुनगापदर
116.				करनपुर	करनपुर
117.				हिरामांदला व. ग्रा.	करनपुर
				योग 04	
118.	कोण्डागांव	मर्दापाल	गोलावंड 32	गोलावंड	गोलावंड
119.				ढोलमेंदरी (वन)	गोलावंड
120.				खचगांव	खचगांव
121.				बालासार व. ग्रा.	खचगांव
122.				बेंतबेड़ा व. ग्रा.	खचगांव
123.				तातरी व. ग्रा.	खचगांव
				योग 06	
124.			बोरगांव 33	बोरगांव	बोरगांव
125.				झारा	बोरगांव
126.				खण्डाम	खण्डाम
127.				पोलंग	खण्डाम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
128.	कोण्डागांव	मर्दापाल	बोरगांव 33	बोथा उर्फ करिया काटा	खण्डाम
129.				मयूरडोंगरी व. ग्रा.	खण्डाम
				योग 08	
130.			हंगवा 34	हंगवा (वन)	हंगवा
131.				तोतर	हंगवा
132.				आदनार	आदनार
133.				आमगांव	आदनार
134.				चेमा	आदनार
				योग 05	
135.			लखापुरा 35	लखापुरी	लखापुरी
136.				पदेली	लखापुरी
137.				एहरा	लखापुरी
138.				छोटेकोडेर	लखापुरी
139.				गटनतरई (वन)	लखापुरी
140.				छोटेउसरी	छोटेउसरी
141.				मलनार	छोटेउसरी
142.				नाहकानार	छोटेउसरी
143.				टिमेनार	छोटेउसरी
144.				कोहकाड़ी	छोटेउसरी
				योग 10	
145.			मर्दापाल 36	मर्दापाल	मर्दापाल
146.				चांगेर (वन)	मर्दापाल
147.				नवागांव	नवागांव
148.				मूलनार	नवागांव
149.				खोड़सानार	नवागांव
				योग 05	
150.			कड़ेनार 37	हड़ेली	हड़ेली
151.				एहकली	हड़ेली
152.				एरन्डवाल	हड़ेली
153.				हान्दापाल	हड़ेली
154.				मरकामपाल	हड़ेली
155.				कड़ेनार	कड़ेनार
156.				कोलम	कड़ेनार
157.				बेचा	कड़ेनार
158.				मंदोडा	कड़ेनार
				योग 09	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
159.	कोण्डागा	दर्भा	मटवाल 38	मटवाल	मटवाल
160.				मंगवाल	मटवाल
161.				टेकापाल	मटवाल
162.				पुंगारपाल	मटवाल
163.				मालम (विरान)	मटवाल
164.				कुधूर	कुधूर
165.				तुमड़ीवाल	कुधूर
166.				राकसमेटा	कुधूर
				योग 08	
167.			बड़ेकुरूषनार 39	बड़ेकुरूसनार	बड़ेकुरूसनार
168.				छोटेकुरूसनार	बड़ेकुरूसनार
169.				कांगा	कांगा
170.				बादालूर	कांगा
171.				मेंढ़पाल (वन)	कांगा
				योग 05	
172.			हसलनार 40	हसलनार	हसलनार
173.				पदनार	हसलनार
174.				रानापाल	रानापाल
175.				हदकली	रानापाल
176.				हासेल	रानापाल
				योग 05	
177.			पुसपाल 41	पुसपाल	पुसपाल
178.				पोहमार	पुसपाल
179.				जोड़ेगा	पुसपाल
180.				खड़पड़ी	खड़पड़ी
181.				कोरमेल	खड़पड़ी
182.				परोदा	खड़पड़ी
183.				आदपाल	खड़पड़ी
				योग 07	

राजस्व ग्राम-160, वनग्राम-22, विरान ग्राम-01, कुल ग्राम 183

कुल पंचायत - 82

जगदलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2009

क्र./165/भू-अ/स. अ. भू-अ. 2/रा.नि.मं. पुनर्ग./2009.—छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, एम. एस. परस्ते, कलेक्टर, जिला बस्तर एतद्द्वारा तहसील बकावंड के दस पटवारी हल्कों पर एक राजस्व निरीक्षक मंडल का पुनर्गठन सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा. नि. मं.	प. ह. नं. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बकावंड	करपावंड	कोलावल 1	कोलावल	कोलावल
2.				पाथरी	पाथरी
3.				मैलबेडा	पाथरी
4.				कोदोमाली वन ग्राम	पाथरी
5.				भिरण्डा वन ग्राम	पाथरी
6.				मोखागांव वन ग्राम	पाथरी
7.				मालामुण्डा वन ग्राम	पाथरी
				योग 07	
8.			गारेगा 2	गारेगा	गारेगा
9.				बड़ेजिराखाल	गारेगा
10.				टेम्पलकोमार	गारेगा
11.				सतोषा	सतोषा
12.				मोहलई वनग्राम	मोहलई
13.				चारगांव वनग्राम	चारगांव
14.				लावागांव वनग्राम	चारगांव
15.				बोरीगांव वनग्राम	चारगांव
16.				बनकोमार वनग्राम	बनकोमार
17.				तोरका वनग्राम	बनकोमार
				योग 10	
18.			जैबेल 3	जैबेल	जैबेल
19.				डिमरापाल	डिमरापाल
				योग 02	
20.			मरेठा 4	मरेठा	मरेठा
21.				फरसरा	फरसरा
22.				छोटे जिराखाल	फरसरा
				योग 3	
23.			छिंदगांव 5	छिंदगांव	छिंदगांव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24.	बकावंड	करपावंड	छिंदगांव 5	चोकनार	चोकनार
25.				बंगलाडोंगरी वनग्राम	चोकनार
				योग 03	
26.			चिउरगांव 6	चिउरगांव	चिउरगांव
27.				बागराय वनग्राम	चिउरगांव
28.				सुवाचोण्ड	सुवाचोण्ड
				योग 03	
29.			सौंरा 7	सौंरा	सौंरा
30.				तोगकोगेरा	तोगकोगेरा
31.				आमादुला	तोगकोगेरा
				योग 03	
32.			करपावंड 8	करपावंड	करपावंड
33.				घनपुर	घनपुर
				योग 02	
34.			संघकरमरी 9	पोटियावंड	पोटियावंड
35.				घनसरा उर्फ सोड़करमरी वनग्राम	
36.				सानदेवडा	पोटियावंड
37.				टुहटीदेवड़ा	पोटियावंड
38.				संघकरमरी	संघकरमरी
				योग 5	
39.			पाहुरबेल 10	बदलावंड	बदलावंड
40.				डुरकाबेडा	बदलावंड
41.				गिरोला	बदलावंड
42.				पाहुरबेल	पाहुरबेल
				योग 4	
43.			जैतगिरी 11	जैतगिरी	जैतगिरी
44.				सोनपुर	सोनपुर
45.				बनियागांव	सोनपुर
				योग 03	
46.			बड़ेदेवडा 12	सौतपुर	सौतपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
47.	बकावंड	करपावंड	बड़ेदेवडा 12	बड़ेदेवडा	बड़ेदेवडा
48.				नरावंड	सौतपुर
				योग 03	
49.	बकावंड	मूली	मंगनार 13	मंगनार	मंगनार
50.				मटनार	मटनार
51.				बेड़ागांव	मटनार
				योग 03	
52.			बोरीगांव 14	बोरीगांव	बोरीगांव
53.				करंजी	बोरीगांव
54.				बेलपुटी	बेलपुटी
55.				खेटलापाल	बेलपुटी
				योग 04	
56.			सतलावंड 15	सतलावंड	सतलावंड
57.				छिनारी	छिनारी
				योग 02	
58.			मूली 16	मूली	मूली
59.				चापापदर	मूली
60.				चिखलकरमरी	मूली
61.				बारदा	बारदा
				योग 4	
62.			किंजोली 17	किंजोली	किंजोली
63.				कुम्हरावंड	कुम्हरावंड
				योग 02	
64.			पंडानार 18	पंडानार	पंडानार
65.				नेगानार	पंडानार
66.				मोहलई	मोहलई
67.				रामपाल	मोहलई
				योग 04	
68.			मोंगरापाल 19	मोंगरापाल	मोंगरापाल
69.				चोलनार	चोलनार
				योग 02	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
70.	बकावंड	मूली	कचनार 20	कचनार	कचनार
71.				भिरलिंगा	कचनार
72.				बोरपदर	बोरपदर
				योग 03	
73.			बेडाउमरगांव 21	बेडाउमरगांव	बेडाउमरगांव
74.				झारउमरगांव	झारउमरगांव
75.				ढोढरेपाल	झारउमरगांव
76.				मेटावाडा	झारउमरगांव
				योग 04	
77.			छोटे देवड़ा 22	छोटे देवडा	छोटे देवडा
78.				सरगीपाल	सरगीपाल
79.				मरागांव	सरगीपाल
				योग 03	
80.	बकावंड	बकावंड	राजनगर 23	राजनगर	राजनगर
81.				भेजरीपदर	भेजरीपदर
82.				दशापाल	भेजरीपदर
				योग 03	
83.			बकावंड 24	बकावंड	बकावंड
84.				कौडावंड	कौडावंड
				योग 02	
85.			फरसीगांव 25	फरसीगांव	फरसीगांव
86.				सिमोडा	फरसीगांव
87.				उडियापाल	उडियापाल
				योग 03	
88.			कोसमी 26	कोसमी	कोसमी
89.				दाबगुडा	कोसमी
90.				कोरटा	कोरटा
91.				तुंगापाल	कोरटा
				योग 04	
92.			बजावंड 27	बजावंड	बजावंड
93.				नलपावंड	नलपावंड

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
94.	बकावंड	बकावंड	बजावंड 27	पीठापुर	नलपावंड
				योग 03	
95.			उलनार 28	उलनार	उलनार
96.				पाइकपाल	उलनार
97.				करीतगांव	करीतगांव
98.				जुनावानी	करीतगांव
				योग 04	
99.			तारापुर 29	तारापुर	तारापुर
100.				टलनार	टलनार
				योग 02	
101.			बनियागांव 30	बनियागांव	बनियागांव
102.				बेलगांव	बनियागांव
103.				चितालूर	चितालूर
104.				बालपुटी	चितालूर
				योग 4	
105.			गुम्डेल 31	गुम्डेल	गुम्डेल
106.				कोरपाल	गुम्डेल
107.				कानापाल	गुम्डेल
108.				कुरूषपाल	गुम्डेल
109.				कोहकापाल	कोहकापाल
110.				सुकरापाल चि वि. ग्राम	कोहकापाल
				योग 06	
111.			मालगांव 32	मालगांव	मालगांव
112.				घोबीगुडा	घोबीगुडा
113.				इरीकपाल	घोबीगुडा
114.				कोलचुर वि. ग्राम	घोबीगुडा
				योग 04	

राजस्व ग्राम-101, वनग्राम-13, कुल-114 ग्राम
कुल पंचायत - 67

जगदलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2009

क्र./165/भू-अ/स. अ. भू-अ. 2/रा.नि.मं. पुनर्ग./2009.—छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, एम. एस. परस्ते, कलेक्टर, जिला बस्तर एतद्द्वारा तहसील बस्तर के दस पटवारी हल्कों पर एक राजस्व निरीक्षक मंडल का पुनर्गठन सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा. नि. मं.	प. ह. नं. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बस्तर	भानपुरी	सालेमेटा 1	सालेमेटा	सालेमेटा
2.				छुरावण्ड	सालेमेटा
3.				खड़का	सालेमेटा
4.				पखनाकोंगेरा	पखनाकोंगेरा
5.				कोटगढ़	पखनाकोंगेरा
				योग 5	
6.			सोरगांव 2	सोरगांव	सोरगांव
7.				जामगांव	जामगांव
				योग 02	
8.			तुरपुरा 3	तुरपुरा	तुरपुरा
9.				पल्लीभाटा	तुरपुरा
10.				खण्डसरा	खण्डसरा
				योग 03	
11.			केशरपाल 4	केशरपाल	केशरपाल
12.				नहरनी	केशरपाल
13.				कुम्हली	कुम्हली
				योग 03	
14.			भानपुरी 5	भानपुरी	भानपुरी
15.				मुरकुची	मुरकुची
16.				विश्रामपुरी	विश्रामपुरी
				योग 03	
17.			नंदपुरा 6	नंदपुरा	नंदपुरा
18.				बनियागांव	बनियागांव
				योग 2	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	बस्तर	भानपुरी	चपका 7	चपका	चपका
20.				फाफनी	फाफनी
21.				तारागांव	फाफनी
22.				मुंजला	फाफनी
				योग 4	
23.			करंदोला 8	करंदोला	करंदोला
24.				बोड़नपाल	बोड़नपाल
25.				बेसोली	बोड़नपाल
				योग 3	
26.			सोनारपाल 9	सोनारपाल	सोनारपाल
27.				देवड़ा	देवड़ा
				योग 2	
28.	बस्तर	मुण्डागांव	सिवनी 10	सिवनी	सिवनी
29.				बड़ेअलनार	बड़ेअलनार
30.				छोटेअलनार	बड़ेअलनार
				योग 3	
31.			चमिया 11	चमिया	चमिया
32.				छोटेआमाबाल	चमिया
33.				बड़ेआमाबाल	बड़ेआमाबाल
				योग 3	
34.			मुण्डागांव 12	मुण्डागांव	मुण्डागांव
35.				कोहकासिवनी	मुण्डागांव
36.				मावलीगुड़ा (वि)	मुण्डागांव
37.				राजपुर	राजपुर
				योग 4	
38.			कुंगारपाल 13	कुंगारपाल	कुंगारपाल
39.				गुमगा	कुंगारपाल
40.				बाकेल	बाकेल
				योग 3	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41.	बस्तर	भानपुरी	मांदलापाल 14	मांदलापाल	मांदलापाल
42.				चेराकुर	चेराकुर
				योग 2	
43.			कावड़गांव 15	कावड़गांव	कावड़गांव
44.				गुरिया	गुरिया
45.				जाटनपाल	गुरिया
				योग 3	
46.			गोड़ियापाल 16	गोड़ियापाल	गोड़ियापाल
47.				पाथरी	पाथरी
				योग 2	
48.			घोटिया 17	घोटिया	घोटिया-
49.				गुनपुर	गुनपुर
50.				अलवाही	गुनपुर
				योग 3	
51.			कुरूषपाल 18	कुरूषपाल	कुरूषपाल
52.				तिरथा	कुरूषपाल
53.				पश्चिम टेमरा	कुरूषपाल
54.				पूर्वी अेमरा	कुरूषपाल
55.				सुधापाल	सुधापाल
				योग 5	
56.			नारायणपाल 19	नारायणपाल	नारायणपाल
57.				रतेंगा	रतेंगा
				योग 2	
58.	बस्तर	लामकेर	भैसगांव 20	भैसगांव	भैसगांव
59.				सौंरापाल	भैसगांव
60.				बोदरा	बोदरा
				योग 3	
61.			बडेचकवा 21	बडेचकवा	बडेचकवा
62.				नदीसागर	नदीसागर
63.				पराली	नदीसागर
				योग 3	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
64.	बस्तर	लामकेर	बोडनपाल 22	बोडनपाल	बोडनपाल
65.				पल्लीचकवा	बोडनपाल
66.				झारतरई	झारतरई
				योग 3	
67.			मघोता 23	मघोता	मघोता
68.				रोतमा	रोतमा
69.				चितलवार	रोतमा
70.				खोटलापाल	रोतमा
				योग 4	
71.			लामकेर 24	लामकेर	लामकेर
72.				उसरी	उसरी
73.				टिकनपाल	उसरी
				योग 3	
74.			बालेंगा 25	बालेंगा	बालेंगा
75.				सालेमेटा	सालेमेंटा
				योग 2	
76.			भोन्ड 26	भोन्ड	भोन्ड
77.				आडावाल	आडावाल
78.				भरनी	आडावाल
79.				नारायणपाल	आडावाल
				योग 4	
80.	बस्तर	बस्तर	पिपलावण्ड 27	बागमोहलई	बागमोहलई
81.				पिपलावंड	पिपलावंड
82.				सितलावंड	पिपलावंड
				योग 3	
83.			इच्छापुर 28	इच्छापुर	इच्छापुर
84.				तालुर	तालुर
				योग 2	
85.			खोरखोसा 29	खोरखोसा	खोरखोसा
86.				मावलीगुडा	मावलीगुडा
				योग 2	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
87.	बस्तर	बस्तर	दुबेउमरगांव 30	दुबेउमरगांव	दुबेउमरगांव
88.				गुफनी	दुबेउमरगांव
89.				रेटावंड	रेटावंड
				योग 3	
90.			बस्तर 31	बस्तर	बस्तर
91.				सेमलनार	सेमलनार
92.				बेसरापाल	सेमलनार
				योग 3	
93.			महुपालबरई 32	महुपालबरई	महुपालबरई
94.				परचनपाल	महुपालबरई
95.				बांगापाल	महुपालबरई
96.				भाटपाल	भाटपाल
97.				टाकरागुडा	भाटपाल
98.				भुरसुन्डी	भाटपाल
				योग 6	
99.			कोलचूर 33	कोलचूर	कोलचूर
100.				घाटकवाली	घाटकवाली
101.				मुंडापाल	घाटकवाली
				योग 3	
102.			चोकर 34	चोकर	चोकर
103.				महुपालबारी	चोकर
104.				करमरी	करमरी
105.				मरलेंगा	करमरी
				योग 4	
106.			घाटलोंहगा 35	घाटलोंहगा	घाटलोंहगा
107.				चिडईपदर	घाटलोंहगा
108.				कुदालगांव	कुदालगांव
				योग 3	
109.			कुड़कानार 36	टिकरालोंहगा	टिकरालोंहगा
110.				कुडकानार	कुडकानार
111.				कबिआसना	कुडकानार
112.				किंजोलीपाल	कुडकानार
				योग 4	

राजस्व ग्राम-112, वन ग्राम-00, कुल-112 ग्राम
कुल पंचायत-73

जगदलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2009

क्र./165/भू-अ/स. अ. भू-अ. 2/रा.नि.मं. पुनर्ग./2009.—छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, एम. एस. परस्ते, कलेक्टर, जिला बस्तर एतद्द्वारा तहसील तोकापाल के दस पटवारी हल्कों पर एक राजस्व निरीक्षक मंडल का पुनर्गठन सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा. नि. मं.	प. ह. नं. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	तोकापाल	करंजी	घाटधनोरा 1	घाटधनोरा	घाटधनोरा
2.				टिकराधनोरा	घाटधनोरा
3.				घाटसरगीपाल	घाटधनोरा
4.				मरकापाल	घाटधनोरा
5.				कोण्डालूर	कोण्डालूर
6.				छिन्दबहार	कोण्डालूर
7.				तोतर	कोण्डालूर
				योग 7	
8.			छापरभानपुरी 2	छापरभानपुरी	छापरभानपुरी
9.				सिंगनपुर	सिंगनपुर
10.				सोनारपाल	सिंगनपुर
11.				चोण्डीमेटावाड़ा	सिंगनपुर
12.				तारागांव	सिंगनपुर
				योग 5	
13.			साकरगांव 3	साकरगांव	साकरगांव
14.				बुरजी	साकरगांव
15.				सिरिसगुड़ा	सिरिसगुड़ा
				योग 3	
16.			रानसरगीपाल 4	रानसरगीपाल	रानसरगीपाल
17.				टांहकापाल	टांहकापाल
18.				टाण्डपाल	टांहकापाल
19.				गुमियापाल	टांहकापाल
				योग 4	
20.			पोटानार 5	पोटानार	पोटानार
21.				देउरगांव	देउरगांव
22.				कोहकापाल	देउरगांव
				योग 3	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.	तोकापाल	करंजी	करंजी 6	करंजी	करंजी
24.				टेकामेटा	टेकामेटा
25.				धरमाउर	टेकामेटा
				योग 3	
26.			भड़ीसगांव 7	भड़ीसगांव	भड़ीसगांव
27.				बड़ेमोरठपाल	बड़ेमोरठपाल
28.				छोटेमोरठपाल	बड़ेमोरठपाल
				योग 3	
29.			पलवा 8	पलवा	पलवा
30.				नवागांव	पलवा
31.				बाघनपाल	पलवा
32.				कुरेंगा	कुरेंगा
				योग 4	
33.	तोकापाल	केशलूर	बड़ेमारेंगा 9	बड़ेमारेंगा	बड़ेमारेंगा
34.				तेलीमारेंगा	बड़ेमारेंगा
35.				गुडरामारेंगा	बड़ेमारेंगा
36.				डिमरापाल	डिमरापाल
				योग 4	
37.			केशलूर 10	केशलूर	केशलूर
38.				सोसनपाल	केशलूर
39.				कानाकुरूषपाल	केशलूर
40.				कलेपाल	कलेपाल
41.				बुरूंगपाल	कलेपाल
42.				डोंगरीगुड़ा	कलेपाल
				योग 6	
43.			बड़ेपाराकोट 11	बड़ेपाराकोट	बड़ेपाराकोट
44.				छोटेपाराकोट	बड़ेपाराकोट
45.				इरीकपाल	बड़ेपाराकोट
46.				तोकापाल	तोकापाल
47.				मेटावाड़ा	तोकापाल
				योग 5	
48.			बड़ेआरापुर 12	बड़ेआरापुर	बड़ेआरापुर
49.				तेलगाआरापुर	बड़ेआरापुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50.	तोकापाल	केशलूर	बड़ेआरापुर 12	एर्राकोट	एर्राकोट
51.				भेजरीपदर	एर्राकोट
				योग 4	
52.			सालेपाल 13	सालेपाल	सालेपाल
53.				मटकोट	मटकोट
54.				नैनमूर	मटकोट
				योग 3	
55.			बारूपाटा 14	बारूपाटा	बारूपाटा
56.				कलेपाल	बारूपाटा
57.				नैननार	नैननार
58.				कामदेव कुरूषपाल	नैननार
				योग 4	
59.			मावलीभाठा 15	मावलीभाठा	मावलीभाठा
60.				मंडवा	मावलीभाठा
61.				पथरली उर्फ उड़वा	मावलीभाठा
62.				बुरूंगपाल	बुरूंगपाल
63.				गाटम	बुरूंगपाल
64.				गुर्राम	बुरूंगपाल
				योग 6	
65.			रायकोट 16	रायकोट	रायकोट
66.				एरण्डवाल	एरण्डवाल
67.				दुगनपाल	एरण्डवाल
				योग 3	
68.			राजूर 17	राजूर	राजूर
69.				कोयपाल	राजूर
70.				परपा	परपा
				योग 3	

राजस्व ग्राम-70, वनग्राम-00, कुल ग्राम-70
कुल पंचायत-34

जगदलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2009

क्र./165/भू-अ/स. अ. भू-अ. 2/रा.नि.मं. पुनर्ग./2009.—छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, एम. एस. परस्ते, कलेक्टर, जिला बस्तर एतद्द्वारा तहसील बास्तानार के दस पटवारी हल्कों पर एक राजस्व निरीक्षक मंडल का पुनर्गठन सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा. नि. मं.	प. ह. नं. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बास्तानार	बास्तानार	मुतनपाल 1	मुतनपाल	मुतनपाल
2.				बुरगुम	बुरगुम
3.				नाकटोका	बुरगुम
4.				सांवगेल	बुरगुम
5.				तितरी	बुरगुम
				योग 5	
6.			लालागुड़ा 2	लालागुड़ा	लालागुड़ा
7.				सरगीगुड़ा	लालागुड़ा
8.				तूरांगूर	तुरांगूर
9.				पिरमेटा	तुरांगूर
				योग 4	
10.			जामगांव 3	जामगांव	जामगांव
11.				विरगाली	जामगांव
12.				बोरजा	जामगांव
13.				ढोकम	जामगांव
14.				पुसेम	जामगांव
				योग 5	
15.			बगमुण्डीपनेड़ा 4	बगमुण्डीपनेड़ा	बगमुण्डीपनेड़ा
16.				कोरगाली	बगमुण्डीपनेड़ा
17.				कोंडोली	कोण्डोली
18.				बहनकर	कोण्डोली
				योग 4	
19.			बास्तानार 5	बास्तानार	बास्तानार
				योग 1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	बास्तानार	बास्तानार	इरपा 6	इरपा	इरपा
21.				पारलमेटा	इरपा
22.				बड़ेबोदेनार	बड़ेबोदेनार
				योग 3	
23.			बड़ेकिलेपाल 7	बड़ेकिलेपाल	बड़ेकिलेपाल
				योग 1	
24.			बड़ेकाकलूर 8	बड़ेकाकलूर	बड़ेकाकलूर
25.				कापानार	कापानार
26.				तोयनार	कापानार
				योग 3	
27.			कुम्हारसाडरा 9	कुम्हारसाडरा	कुम्हारसाडरा
28.				साडराबोदेनार	साडराबोदेनार
29.				पालानार	साडराबोदेनार
				योग 3	
30.			छोटेकिलेपाल 10	छोटेकिलेपाल	छोटेकिलेपाल
31.				छोटेबोदेनार	छोटेकिलेपाल
32.				कावानार	छोटेकिलेपाल
33.				आदवाल	छोटेकिलेपाल
34.				भोसरीरास	छोटेकिलेपाल
35.				गोरियापाल	छोटेकिलेपाल
				योग 6	
36.			कोड़ेनार 11	कोड़ेनार	कोड़ेनार
37.				टंगियाझोड़ी	तिरथूम
38.				बरकोटा	तिरथूम
39.				तिरथूम	तिरथूम
40.				सिलकझोड़ी	तिरथूम
41.				छोटेकाकलूर	तिरथूम
42.				मांझीभाटा	तिरथूम
				योग 7	

राजस्व ग्राम-42, वन ग्राम-00, कुल ग्राम-42
कुल पंचायत-18

जगदलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2009

क्र./165/भू-अ/स. अ. भू-अ. 2/रा.नि.मं. पुनर्ग./2009.—छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, एम. एस. परस्ते, कलेक्टर, जिला बस्तर एतद्द्वारा तहसील दरभा के दस पटवारी हल्कों पर एक राजस्व निरीक्षक मंडल का पुनर्गठन सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा. नि. मं.	प. ह. नं. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दरभा	नेंगानार	डिलमिली 1	डिलमिली	डिलमिली
2.				काटाकांदा	काटाकांदा
				योग 2	
3.			अलवा 2	अलवा	अलवा
4.				ढोडरेपाल	ढोडरेपाल
5.				छोटेगुडरा	ढोडरेपाल
				योग 3	
6.			चितापुर 3	चितापुर	चितापुर
7.				बड़ेकड़मा	बड़ेकड़मा
8.				छोटेकड़मा	बड़ेकड़मा
				योग 3	
9.			नेंगानार 4	नेंगानार	नेंगानार
10.				मंगनार	नेंगानार
11.				चिड़पाल	चिड़पाल
12.				मादरकोंटा	चिड़पाल
				योग 4	
13.			लेण्ड्रा 5	कोयनार	कोयनार
14.				लेण्ड्रा	लेण्ड्रा
15.				सेवड़ा	लेण्ड्रा
				योग 3	
16.			छिन्दबहार 6	छिन्दबहार	छिन्दबहार
17.				ककनार	ककनार
18.				माहकापाल	ककनार
				योग 3	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	दरभा	नेंगानार	चिंगपाल 7	चिंगपाल	चिंगपाल
20.				गाड़मगुड़ा	चिंगपाल
21.				केशापुर	केशापुर
				योग 3	
22.			कामानार 8	कामानार	कामानार
23.				पेदावाड़ा	कामानार
24.				कोटमसर वनग्राम	कामानार
25.				मांझीपाल	कामानार
26.				मावलीपदर	मावलीपदर
27.				टोपर	मावलीपदर
28.				चन्द्रपाल विरान	मावलीपदर
				योग 7	
29.			मामड़पाल 9	मामड़पाल	मामड़पाल
30.				गुमड़पाल	मामड़पाल
31.				भुनगा	मामड़पाल
32.				कटेनार	कटेनार
33.				भुसागुड़ा	कटेनार
34.				टेमरूभाटा	कटेनार
				योग 6	
35.			केलाउर 10	केलाउर	केलाउर
36.				नीलेगोदीबोदेनार	नीलेगोदीबोदेनार
37.				गिदावारली	नीलेगोदीबोदेनार
				योग 3	
38.	दरभा	दरभा	पखनार 11	पखनार	पखनार
39.				तोयनार व. ग्रा.	पखनार
40.				कलेपाल व. ग्रा.	पखनार
				योग 3	
41.			चन्द्रगिरी 12	चन्द्रगिरी	चन्द्रगिरी
42.				बीसपुर वनग्रा.	बीसपुर
43.				कोडरीछापर वनग्रा.	
44.				कुडुमखोदरा वनग्रा.	
45.				मुंदेनार वनग्रा.	
				योग 5	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46.	दरभा	दरभा	छिन्दावाड़ा 13	छिन्दावाड़ा	छिन्दावाड़ा
47.				करका	छिन्दावाड़ा
48.				कोन्डलूर	छिन्दावाड़ा
				योग 3	
49.			दरभा 14	दरभा	दरभा
50.				ककालगूर	दरभा
51.				तिरथगढ़	तिरथगढ़
				योग 3	
52.			टांहकवाड़ा 15	टांहकवाड़ा	टाहकावाड़ा
53.				बेंगपाल वनग्रा.	टाहकावाड़ा
54.				जुनापानी वनग्रा.	टाहकावाड़ा
55.				कनकापाल	कनकापाल
56.				ऐलंगनार	कनकापाल
				योग 5	
57.			कोलेंग 16	कोलेंग	कोलेंग
58.				कांदानार	कोलेंग
59.				छिन्दगुर	छिन्दगुर
60.				मुण्डागढ़	छिन्दगुर
				योग 4	
61.			कोकावाड़ा 17	कोकावाड़ा	कोकावाड़ा
62.				जांगड़पाल	कोकावाड़ा
63.				सौतनार	सौतनार
				योग 3	
64.			कोडरीपाल 18	कोडरीपाल	कोडरीपाल
65.				इड़जेपाल	इड़जेपाल
66.				गाड़मरास	इड़जेपाल
				योग 3	
67.			कुकानार 19	कुकानार	कुकानार
68.				छोटेगुरबे	कुकानार
69.				बड़ेगुरबे	कुकानार
				योग 3	

राजस्व ग्राम-60, वनग्राम-09, कुल 69 ग्राम
कुल पंचायत-34

जगदलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2009

क्र./165/भू-अ/स. अ. भू-अ. 2/रा.नि.मं. पुनर्ग./2009.—छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, एम. एस. परस्ते, कलेक्टर, जिला बस्तर एतद्द्वारा तहसील लोहण्डीगुड़ा के दस पटवारी हल्कों पर एक राजम्व निरीक्षक मंडल का पुनर्गठन सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा. नि. मं.	प. ह. नं. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	लोहण्डीगुड़ा	मारडुम	हर्राकोडेर 1	हर्राकोडेर	हर्राकोडेर
2.				पिचीकोडेर	हर्राकोडेर
3.				एरपुन्ड	एरपुन्ड
4.				मालेवाही	एरपुन्ड
5.				पुसपाल ए	एरपुन्ड
6.				बोदेली	एरपुन्ड
7.				कहचेनार	एरपुन्ड
8.				सालेपाल	एरपुन्ड
9.				टेटम	एरपुन्ड
10.				पावेल वन ग्राम	एरपुन्ड
11.				हितामेटा वि. ग्राम	
12.				पण्डानार —,,—	
13.				तुमसकोण्टा —,,—	
14.				तिरिया —,,—	
				योग 14	
15.			चंदेला 2	चंदेला	चंदेला
16.				अमलीधार	चंदेला
17.				कोडेनार	चंदेला
18.				धर्माबेड़ा	चंदेला
19.				ककनार	ककनार
20.				महिमा	ककनार
21.				पालम	ककनार
22.				पुसपाल चि.	ककनार
				योग 8	
23.			बिन्ता 3	बिन्ता	बिन्ता
24.				मुझेर वि.	बिन्ता
25.				सतसपुर	सतसपुर
26.				रायगोंदी	सतसपुर
27.				सुलेंगा	सतसपुर
				योग 5	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28.	लोहण्डीगुड़ा	मारडुम	करेकोट 4	भेजा	भेजा
29.				कोरली	भेजा
30.				करेकोट	करेकोट
				योग 3	
31.			मारडूम 5	मारडूम	मारडूम
32.				कस्तुरपाल	कस्तुरपाल
33.				एरवार	कस्तुरपाल
34.				लिमउपदर	कस्तुरपाल
				योग 4	
35.			बदरेंगा 6	बदरेंगा	बदरेंगा
36.				हाथीदरहा	बदरेंगा
37.				मारीकोडेर	मारीकोडेर
38.				मारेंगा	मारीकोडेर
				योग 4	
39.			मटनार 7	मटनार	मटनार
40.				मेंदरी	मटनार
41.				करकागुड़ा	मटनार
42.				कुथर	कुथर
43.				छोटेगुमियापाल	कुथर
				योग 5	
44.			आंजर 8	आंजर	आंजर
45.				एरमूर	एरमूर
				योग 2	
46.			तोयर 9	तोयर	तोयर
47.				बड़ेगुमियापाल	तोयर
48.				सिलकझोड़ी	तोयर
49.				सुरगुड़ा	सुरगुड़ा
50.				सुरगुड़ा बोदेनार	सुरगुड़ा
				योग 5	
51.			गड़दा 10	गड़दा	गड़दा
52.				आदवाल	गड़दा
53.				बरछेपाल	गड़दा
54.				अलनार	अलनार
				योग 5	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
55.	लोहण्डीगुड़ा	चित्रकोट	मांदर 11	मांदर	मांदर
56.				नेगानार	नेगानार
57.				इरीकपाल	नेगानार
				योग 3	
58.			चित्रकोट 12	चित्रकोट	चित्रकोट
59.				पारापुर	पारापुर
				योग 2	
60.			बड़ेधाराउर 13	उसरीबेड़ा	उसरीबेड़ा
61.				चंदनपुर	उसरीबेड़ा
62.				कोरेबेड़ा	उसरीबेड़ा
63.				बड़ेधाराउर	बड़ेधाराउर
64.				लोहण्डीगुड़ा वि. ग्रा.	बड़ेधाराउर
65.				बेनीधाराउर	बड़ेधाराउर
				योग 6	
66.			छिंदगांव 14	धुरागांव	धुरागांव
67.				छिन्दगांव	छिन्दगांव
				योग 2	
68.			बड़ांजी 15	बडांजी	बडांजी
69.				कुमली	कुमली
				योग 2	
70.			टाकरागुड़ा 16	बेलर	बेलर
71.				टाकरागुड़ा	टाकरागुड़ा
				योग 2	
72.			छाबपाल 17	दाबपाल	दाबपाल
73.				कोठियागुड़ा	दाबपाल
74.				बाघनपाल	बाघनपाल
75.				एरण्डवाल	बाघनपाल
76.				तुर्रेमरका	बाघनपाल
				योग 5	
77.			गढ़िया 18	गढ़िया	गढ़िया
78.				बेलियापाल विग्रा.	गढ़िया

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
79.	लोहण्डीगुड़ा	चित्रकोट	गढ़िया 18	छोटेपरोदा	छोटेपरोदा
80.				बड़ेपरोदा	छोटेपरोदा
81.				चालकीगुड़ा	छोटेपरोदा
				योग 5	
82.			तारागांव 19	तारागांव	तारागांव
83.				छिंदबहार	छिंदबहार
84.				करकापाल	छिंदबहार
				योग 3	
85.			मिचनार 20	मिचनार	मिचनार
86.				साडरा	साडरा
87.				लखईबेड़ा	साडरा

राजस्व ग्राम-82, वन ग्राम-05, कुल-87 ग्राम
पंचायत-40

जगदलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2009

क्र./165/भू-अ/स. अ. भू-अ. 2/रा.नि.मं. पुनर्ग./2009.—छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, एम. एस. परस्ते, कलेक्टर, जिला बस्तर एतद्द्वारा तहसील जगदलपुर के दस पटवारी हल्कों पर एक राजस्व निरीक्षक मंडल का पुनर्गठन सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा. नि. मं.	प. ह. नं. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जगदलपुर	जगदलपुर (अ)	कालीपुर 1	कालीपुर	कालीपुर
2.				तितिरगांव	तितिरगांव
				योग 2	
3.			घाटपदमूर 2	घाटपदमूर	घाटपदमूर
4.				कुम्हरावंड	पल्ली
5.				पल्ली	पल्ली
				योग 3	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	जगदलपुर	जगदलपुर (अ)	कंगोली 3	कंगोली	नगर निगम
7.				धरमपुरा	नगर निगम
				योग 2	
8.			आसना 4	आसना	आसना
9.				तामाकोनी	आसना
10.				कोहकापाल	आसना
11.				बालीकोंटा	बालीकोंटा
12.				कोंडावल	बालीकोंटा
				योग 5	
13.			जगदलपुर दे. 5	जगदलपुर दे.	न. नि.
14.				अघनपुर	न. नि.
15.				पखनागुड़ा	न. नि.
				योग 3	
16.			धुरगुड़ा 6	धुरगुड़ा	धुरगुड़ा
17.				गरावंडकला	धुरगुड़ा
18.				तुर्नेनार	तुर्नेनार
19.				भाटागुडा	तुर्नेनार
				योग 4	
20.			आड़ावाल 9	आड़ावाल	आड़ावाल
21.				कुसुमपाल	आड़ावाल
22.				नकटीसेमरा	आड़ावाल
23.				बिलोरी	बिलोरी
24.				करकापाल	बिलोरी
25.				चितापदर	बिलोरी
				योग 6	
26.			हल्बाकचोरा 10	हल्बाकचोरा	हल्बाकचोरा
27.				मंगडूकचोरा	हल्बाकचोरा
28.				शासनकचोरा	हल्बाकचोरा
				योग 3	
29.			फ्रेजरपुर 11	फ्रेजरपुर	नगर निगम
30.				सरगीपाल	सरगीपाल
31.				हाटकचोरा	नगर निगम
				योग 3	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32.	जगदलपुर	जगदलपुर (अ)	पंडरीपानी 12	पंडरीपानी	पंड्रीपानी
33.				बिरिगपाल	बिरिगपाल
				योग 2	
34.			परपा 13	परपा	परपा
35.				तुसेल	तुसेल
36.				कोरपाल	तुसेल
				योग 3	
37.		नानगुर	नियानार 14	नियानार	नियानार
38.				जाटम	जाटम
39.				डोंगाम	जाटम
				योग 3	
40.			जामावाड़ा 15	जामावाड़ा	जामावाड़ा
41.				छोटेबादाम	जामावाड़ा
42.				बड़ेबादाम	जामावाड़ा
43.				बिरनपाल	बिरनपाल
44.				टोंडापाल	बिरनपाल
45.				नवागुड़ा	बिरनपाल
				योग 6	
46.			साड़गुड़ 16	साड़गुड़	साड़गुड़
47.				कुलगांव	साड़गुड़
48.				उलनार	उलनार
49.				चिलकुहटी	उलनार
				योग 4	
50.			पुसपाल 17	पुसपाल	पुसपाल
51.				जोजल	पुसपाल
52.				धनियालूर	धनियालूर
				योग 3	
53.			हाटपदमूर 18	हाटपदमूर	हाटपदमूर
54.				सिड़मूड़	हाटपदमूर
55.				कैकागढ़ उर्फ चेरबहार	कैकागढ़
56.				कैकागढ़	कैकागढ़
57.				बेंगलूर	कैकागढ़
				योग 5	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
58.	जगदलपुर	जगदलपुर (अ)	नानगूर 19	नानगूर	नानगूर
59.				मंझीगुड़ा	मंझीगुड़ा
60.				अलनार	मंझीगुड़ा
				योग 3	
61.			बड़ेमुरमा 20	बड़ेमुरमा	बड़ेमुरमा
62.				छोटेमुरमा	बड़ेमुरमा
63.				छोटेबोदल	बड़ेमुरमा
64.				काकरवाड़ा	काकरवाड़ा
65.				बड़ेबोदल	काकरवाड़ा
				योग 5	
66.			बड़ेकवाली 21	बड़ेकवाली	बड़ेकवाली
67.				पराली	बड़ेकवाली
68.				छोटेकवाली	छोटेकवाली
69.				चचालगुर	छोटेकवाली
70.				पाटियापाल	छोटेकवाली
				योग 5	
71.			नेतानार 22	नेतानार	नेतानार
72.				गुड़िया	नेतानार
73.				चितलगुर	नेतानार
74.				तामरवाड़ा वि. ग्रा.	नेतानार
75.				कोलावाड़ा	कोलावाड़ा
76.				मिलकुलवाड़ा	कोलावाड़ा
77.				नागलसर	कोलावाड़ा
78.				सुरून्दवा ब. ग्राम	कोलावाड़ा
79.				चमपाल वि. ग्राम	कोलावाड़ा
80.				कुदुरवाड़ा वि. ग्राम	कोलावाड़ा
				योग 10	
81.			कावापाल 23	कावापाल	कावापाल
82.				आलकुर	कावापाल
83.				कालागुड़ा	कावापाल
84.				गुमलवाड़ा	कावापाल
85.				तिरिया ब. ग्राम	कावापाल
86.				पुलचा ब. ग्राम	कावापाल
87.				तोलावाड़ा ब. ग्राम	कावापाल
88.				करकागुड़ा वि. ग्राम	कावापाल
89.				गाड़ाघाट वि. ग्रा.	कावापाल
90.				चेररास वि. ग्रा.	कावापाल
				योग 10	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
91.	जगदलपुर	जगदलपुर (ब)	कलचा 07	कलचा	कलचा
92.				कुम्हरावण्ड	कलचा
93.				गरावण्ड खुर्द	गरावण्ड खुर्द
94.				नेंगीगुड़ा	गरांवण्ड खुर्द
95.				मोरठपल्ली	गरावण्ड खुर्द
				योग 5	
96.			कुरन्दी 08	कुरन्दी	कुरन्दी
97.				बाबूसेमरा	बाबूसेमरा
98.				हाटपहरी सेमरा	बाबूसेमरा
99.				तेलीसेमरा	बाबूसेमरा
100.				बुरन्दवाड़ा सेमरा	बाबूसेमरा
				योग 5	
101.			मरकेल 24	मारकेल	मारकेल
102.				कुम्हली	कुम्हली
103.				जीरागांव	कुम्हली
104.				बागराउर	कुम्हली
105.				खम्हारगांव	खम्हारगांव
106.				कोपागुड़ा	खम्हारगांव
107.				खुटपदर	खम्हारगांव
				योग 7	
108.			माड़पाल 25	माड़पाल	माड़पाल
109.				करनपुर	करनपुर
110.				रामपाल	करनपुर
111.				भालूगुड़ा	करनपुर
				योग 4	
112.			आमागुड़ा 26	आमागुड़ा	आमागुड़ा
113.				मंगनपुर	आमागुड़ा
114.				बम्हनी	बम्हनी
				योग 3	
115.			नगरनार 27	नगरनार	नगरनार
116.				उपनपाल	उपनपाल
117.				बीजापुर	उपनपाल
				योग 3	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
118.	जगदलपुर	जगदलपुर (ब)	धनपुंजी 28	धनपुंजी	धनपुंजी
119.				भेजापदर	भेजापदर
				योग 2	
120.			चोकावाड़ा 29	चोकावाड़ा	चोकावाड़ा
121.				कस्तुरी	कस्तुरी
122.				माचकोट व. ग्रा.	चोकावाड़ा
123.				केराझोड़ी	चोकावाड़ा
124.				खिड़रवाड़	चोकावाड़ा
				योग 5	

राजस्व ग्राम-113, वन ग्राम-05, विरान ग्राम-07, कुल-124 ग्राम पंचायत-52

एम. एस. परस्ते,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 26th March 2009

No. 144/Confdl./2009/II-2-2/2002.—The following District Judge (Selection Grade) as specified in Column No. (2) are hereby appointed on the post of District Judge (Super Time Scale) of Rs. 22850-500-24850 from the date mentioned in Column No. (3) of the table below :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present designation (2)	Date of appointment on the post of District Judge (Super Time Scale) (3)
1.	Shri Gulam Minhajuddin, Director, Judicial Officers' Training Institute, Bilaspur.	25-03-2009
2.	Shri Radheshyam Sharma, Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department Raipur.	25-03-2009
3.	Shri Inder Singh Uboweja, District & Sessions Judge, Janjgir-Champa.	25-03-2009

(1)	(2)	(3)
4.	Shri Sandeep Buxy, Registrar (Vigilance), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.	25-03-2009
5.	Shri Alok Jha, District & Sessions Judge, Rajnandgaon.	25-03-2009
6.	Shri Chandra Bhushan Bajpai, District & Sessions Judge Dhamtari.	25-03-2009
7.	Shri Tapan Kumar Chakravarti, Legal Advisor to Governor, Governor's Secretariat, Raipur.	25-03-2009
8.	Shri Surendra Tiwari, District & Sessions Judge, Surguja (Ambikapur)	25-03-2009

Bilaspur, the 31st March 2009

No. 150/Confdl./2009/II-1-1/2009.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 13030/1/2008/US. II dated 27th March 2009 of Government of India, Ministry of Law & Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Nawal Kishore Agarwal, Hon'ble Shri Justice Pritinker Diwaker, Hon'ble Shri Justice Rangnath Chandrakar and Hon'ble Shri Justice Rajeshwar Lal Jhanwar have assumed charge of the office of Additional Judge of High Court of Chhattisgarh, Bilaspur in the Forenoon of March 31, 2009.

Bilaspur, the 31st March 2009

No. 164/Confdl./2009/II-2-1/2009.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), are transferred from the place show in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their office and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Ashok Kumar Panda, District & Sessions Judge.	Koriya (Baikunthpur)	Durg	Durg	District & Sessions Judge.
2.	Shri T. K. Jha, II Additional Principal Judge, Family Court.	Durg	Koriya (Baikunthpur)	Koriya (Baikunthpur)	District & Sessions Judge.
3.	Shri Mahadev Katulkar, Chairman, Permanent Lok Adalat.	Bilaspur	Korba	Korba	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 31st March 2009

No. 2527/S & A Cell/09.—In exercise of powers conferred by sub rule (1) of rule 5 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 and as per the amended notification No. 2508/D-246/XXI-B/C. G./07 dated 15-03-07 and in view of the directions of Hon'ble the Supreme Court in its order dated 04-01-07 passed in the C. A. 1867/06 (Malik Mazhar Sultan and another V/s U. P. Public Service Commission & ors.), The High Court of Chhattisgarh notifies the vacancies in respect of District Judge (Entry Level) as under :—

(a)	Promotion in accordance with Rule 5 (1) (a)	03 Posts
(b)	By promotion through limited competitive examination in accordance with Rule 5 (1) (b)	02 Posts
(c)	By direct recruitment from the Bar in accordance with Rule 5 (1) (c)	10 Posts (including 08 posts carried forward from the year 2008)

Bilaspur, the 31st March 2009

No. 2529/S & A Cell/2009.—In exercise of powers conferred by sub rule (2) of rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 and as per the amended notification No. 7120/D-2517/XXI-B/C. G./07 dated 14-08-07 and in view of the directions of Hon'ble the Supreme Court in its order dated 04-01-07 passed in the C. A. 1867/06 (Malik Mazhar Sultan and another V/s U. P. Public Service Commission & ors.), The High Court of Chhattisgarh notifies ' ·ancies in respect of Senior Civil Judge as under :—

(a)	Promotion in accordance with sub rule 2 of Rule 3	43 Posts

Bilaspur, the 1st April 2009

No. 08 (Mis)/I-7-3/2009 (Pt.-I).—16th April, 2009 is declared holiday for the High Court, Registry and Subordinate Courts on account of the General Election for Parliament in Chhattisgarh State.

By order of the Hon'ble High Court,
ARVIND SHRIVASTAVA, Registrar General.

निर्वाचन आयोग भारत की अधिसूचनाएं

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2009

क्र. 01/चार/लो. स. चु./2009/1867.—भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली का वैकल्पिक मतदाता पहचान पत्रों के संबंध में आदेश संख्या 03/4/ID/2009/SDR, दिनांक 11 अप्रैल, 2009 का राज्य के शासकीय राजपत्र में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

सुनील कुजूर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 11th April 2009

ORDER

No. 3/4/ID/2009/SDR.—In continuation of the Commission's Order No. 3/4/ID/2009/SDR, dated 6th April, 2009, the Commission directs that "Bhoo Adhikar Evam Rin Pusthika, with photograph" issued on or before 28-2-2009 shall also be permitted as an additional document for establishing the identity of electors at the General Election to the House of the People in the State of Chhattisgarh.

The abovementioned document is in addition to the documents listed at para 9 of the Commission's Order dated 6th April, 2009.

By order,

Sd/-
(K. F. WILFRED)
Secretary.